मध्यप्रदेश के छोटे और मझौले शहरों के

जलप्रदाय की दिशा

(प्रस्तावित योजनाओं एवं उनकी वित्तीय व्यवस्था के प्रभावों का बड़वानी की जलप्रदाय योजना के संदर्भ में अध्ययन)

रेहमत / मकरंद पुरोहित
मंथन अध्ययन केन्द्र
बड़वानी (मध्यप्रदेश) - 451551
manthan.kendra@gmail.com
www.manthan-india.org

पारिभाषिक शब्दावली

एमएलडी	मिलियन (दस लाख) लीटर प्रतिदिन।
एलपीसीडी	लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (Litre per Capita per Day)
ओवर हेड टेंक	पानी के भण्डारण हेतु बनाई जाने वाली टंकी। इन टंकियों में संग्रहित पानी का वितरण किया जाता है।
किलो वाट	विद्युत शक्ति की इकाई। इस रपट में विद्युत मोटरों की क्षमता के संदर्भ में इसका उल्लेख हुआ है।
किलो लीटर	एक हजार लीटर या एक घन मीटर।
गैर राजस्व जल	लीकेज और गरीब लोगों को मुफ्त में वितरित किए जाने वाले पानी की मात्रा। आजकल सरकार और नगरनिकाय गैर राजस्व जल कम करने पर जोर दे रहे है।
पीपीपी	पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप या जन–निजी भागीदारी। इसके तहत ज्यादातर धन सार्वजनिक स्रोतों से लगाया जाता है लेकिन इसका लम्बे समय तक फायदा निजी कंपनियों को दिलवाया जाता है।
राईजिंग लाईन	मुख्य नलिकाएँ जिनसे स्रोत से फिल्टर प्लांट या फिल्टर प्लांट से ओवरहेड टंकियों तक पानी का परिवहन किया जाता है। इन नलिकाओं से नल कनेक्शन दिया जाना उचित नहीं माना जाता है।
वितरण लाईन	पानी वितरण करने वाली नलिकाएँ। ये ओवरहेड टंकियों से भी जुड़ी हो सकती है और राईजिंग लाईन से भी।
सम्प वेल	पानी भण्डारण हेतु बनाई जाने वाली भूमिगत टंकियाँ। यहाँ से पंप द्वारा पानी ओवरहेड टंकियों में चढ़ाया जाता है या फिर सीधे वितरण किया जाता है।
सीडीपी	सिटी डेवलपमेंट प्लान या नगर विकास योजना। सरकार के निर्देश पर वर्ष 2014 तक हर नगरीय निकाय के लिए नगर विकास योजना बनाने की तैयारी है।
डीपीआर	डिटेल्ड प्रोजेक्ट रपट या विस्तृत परियोजना रपट। किसी भी योजना निर्माण के पूर्व इस दस्तावेज को तैयार किया जाता है जिसमें योजना की आवश्यकता, योजना का नियोजन, निर्माण घटक और लागत का विस्तार से उल्लेख रहता है।
UIDSSMT	छोटे तथा मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना' (Urban Infrastructure Development Schemes for Small and Medium Town)
CPHEEO मार्गदर्शिका	केन्दीय शहरी विकास मंत्रालय के अधीन गठित केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (Central Public Health and Environmental Engineering Organisation). इस संगठन द्वारा जलप्रदाय एवं जल शुद्धिकरण पर 797 पृष्ठों की एक वृहत मार्गदर्शिका प्रकाशित की है। देशभर में बनाई जाने वाली योजनाओं के लिए इसी मार्गदर्शिका का आधार लिया जाता है।
UDPFI मार्गदर्शिका	शहरी विकास योजना आकल्पन एवं क्रियांवयन (Urban Development Plans Formulation and Implementation) मार्गदर्शिका में जलप्रदाय सहित शहरी बुनियादी सुविधाओं हेतु मानकों का उल्लेख है।

विषय सूची

प्रस्तावना **4**

बड़वानी की जलप्रदाय व्यवस्था **6**

बड़वानी के जलस्रोत *7*

जलस्रोतों की वर्तमान दशा *8*

बड़वानी में जलप्रदाय तंत्र *9*

नर्मदा एक स्रोत के रूप में *10*

नए जलप्रदाय तंत्र के प्रयास **12**

बड़वानी में यूआईडीएसएसएमटी *15*

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना *17*

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का आकल्पन *18*

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की वित्तीय व्यवस्था में बदलाव *25*

जलप्रदाय के तथ्य **27**

पानी की कमी *27*

प्रति व्यक्ति जलप्रदाय भ्रामक *29*

चौबीसों घण्टे जलप्रदाय *31*

गैरजरूरी योजनाएँ : कुछ कारण **32**

प्रस्तावना

केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित जवाहरलाल शहरी नवीकरण मिशन (JnNURM) और इसके अंतर्गत छोटे तथा मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना (UIDSSMT) अब समाप्ति के दौर में है। मध्यप्रदेश ने इस योजना को हासिल करने में ज्यादा उत्साह दिखाया गया। प्रदेश में इसके तहत 47 शहरों में 990 करोड़ की योजनाएँ स्वीकृत हैं। डबरा, देवास, मलाजखण्ड, रेहली, सनावद और सिरोंज को केन्द्रीय अनुदान की दूसरी किश्त प्राप्त हुई है लेकिन, क्रियांवयन के मामले में प्रदेश की लगभग सारी योजनाएँ पीछे चल रही है। शिवपुरी और खण्डवा की योजनाओं को पीपीपी में दिए जाने का स्थानीय समुदाय विरोध कर रहा है। खण्डवा में केन्द्रीय सहायता की दूसरी किश्त रोक दी गई है।

अब मध्यप्रदेश सरकार ने भी प्रदेश की सभी नगरीय इकाईयों में मानक मात्रा में जलप्रदाय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **'मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'** की घोषणा की है। यूआईडीएसएसएमटी में तो पीपीपी को प्रोत्साहित करने का प्रावधान रहा है लेकिन, इस योजना में तो पहले से ही तय कर लिया गया है कि एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में पीपीपी के माध्यम से ही पेयजल योजनाओं का क्रियांवयन किया जाएगा। इससे प्रदेश की पेयजल व्यवस्था में बड़े बदलाव संभावित हैं।

बड़वानी के अध्ययन के दौरान ही हमने प्रदेश में क्रियांवित इसी प्रकार की योजनाओं पर भी नजर डाली। मोटे तौर पर देखने में आ रहा है कि ये योजनाएँ नगरनिकायों की वित्तीय हैसियत से काफी बड़े बजट की है। बड़ा बजट होने के प्रमुख कारणों में जलप्रदाय के मानक बढ़ा–चढ़ा कर इस्तेमाल करने तथा स्थानीय जलस्रोतों की उपेक्षा कर दूर से स्रोतों से पानी लाने को प्राथमिकता देना शामिल है। योजना संबंधी तकनीकी दस्तावेजों का अध्ययन कर उचित निर्णय लेने में सक्षम मानव संसाधनों की स्थानीय स्तर पर कमी भी सामने आई है। लेकिन इस मामले में निजी सलाहकारी फर्मों के शामिल हो जाने से योजनाओं के बारे में सही निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है और गैर जरूरी योजनाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों से इस अध्ययन की महत्ता अधिक जान पड़ी।

पिछले करीब डेढ़ वर्षों से अखबारों में बड़वानी के जल संकट के बारे में खबरें छपती रही है। चूँकि बड़वानी नर्मदा किनारे से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ के जलप्रदाय तंत्र का प्रमुख घटक पंपिंग और शुद्धिकरण संयंत्र एक दम नए हैं इसलिए इन खबरों की सच्चाई जानने के प्रयास से हमारी अध्ययन यात्रा शुरू हुई। पहले हमने अगस्त–सितंबर 2011 में शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय, बड़वानी के समाजकार्य विभाग के छात्रों के साथ मिलकर जलप्रदाय की समस्याएँ समझने हेतु एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया। नगर के एक तिहाई वार्डों के 10% प्रतिशत परिवारों से ली गई जानकारी में केवल 17% उत्तरदाताओं, जिनमें से ज्यादातर सार्वजनिक नलों पर निर्भर परिवार थे, ने ही कम दवाब की शिकायत की थी। इसके बाद हमने

जलसंकट के 'स्थाई' समाधान के रूप में प्रस्तावित योजनाओं का अध्ययन प्रारंभ किया। अध्ययन में यह तथ्य उजागर हुआ कि शहर की जरूरत से 3 गुना अधिक क्षमता का तंत्र वर्तमान में उपलब्ध है।

सभी पक्षों से चर्चा में बड़वानी के जल संकट के कोई वाजिब कारण सामने नहीं आए। जल कर के रूप में राजस्व वसूली काफी अच्छी है। कुल मिलाकर 20 करोड़ की एक नई जलप्रदाय योजना का औचित्य को हम समझ नहीं पा रहे हैं।

चूँकि बड़वानी जैसी ही जलप्रदाय योजनाएँ प्रदेश के कई शहरों में या तो निर्माणाधीन है या फिर प्रस्तावित है। इसलिए, इस अध्ययन में प्रस्तुत तथ्य न सिर्फ बड़वानी के लिए बल्कि प्रदेश के कई अन्य शहरों की योजनाओं के लिए भी महत्त्वपूर्ण होंगें।

इस अध्ययन के लिए हमें नगरपालिका के जलप्रदाय विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग मिला। उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों तथा उनके साथ हुई चर्चाओं से हमें पूरा जलप्रदाय तंत्र समझने ने मदद मिली। समाजकार्य विभाग के छात्रगण लोकेन्द्र गायकवाड़, ठाकुरलाल वर्मा, राजेन्द्र राठौड़, सोनू सोलकी, मथिल्दा भण्डोले और किरण वर्मा ने मैदानी सर्वेक्षण की जिम्मेदारी संभाली लेकर अपने मैदानी अनुभवों को साझा किया। इसके अलावा हमने जलप्रदाय के विभिन्न पहलुओं को समझने हेतु नगर के जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों से भी चर्चाएँ की। हमारे साथी गौरव द्विवेदी ने धैयपूर्वक रपट के प्रारूपों को पढ़कर अपनी महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी। लोभीराम यादव ने दस्तावेज जुटाने में मदद की। अपना समय देकर अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करने वाले सभी महानुभावों और सहयोगियों का मन से आभार।

बड़वानी
नवंबर 2012

(रेहमत / मकरंद पुरोहित)

बड़वानी की जलप्रदाय व्यवस्था

इतिहास में बड़वानी एक छोटी और गुमनाम सी देशी रियासत रही है। इसकी पुरानी राजधानी बड़वानी से करीब 50 किमी दक्षिण–पश्चिम स्थित अवासगढ़ थी जिसे संभवतः सत्रहवीं सदी के मध्य में चंद्रसिंह (1640-1675) ने सिद्धनगर (बड़वानी) स्थानांतरित किया। वनाच्छादित एवं पहुँचविहीन होने के कारण ही यह रियासत साम्राज्यवादी रजवाड़ों और सामंतों से लम्बे समय तक सुरक्षित रही है। मुगल सम्राट अकबर ने सन 1562 में मालवा के साथ अवासगढ़ पर भी कब्जा कर लिया था लेकिन पहुँचविहीन पहाड़ी भूभाग, कम राजस्व अथवा संभवतः तत्कालीन शासक परसनसिंह (प्रथम) द्वारा इस्लाम स्वीकार करने के कारण पुनः इसे आजाद कर दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों ने भी जसवंतसिंह (1839-1880) के सुस्त प्रशासन के बहाने 1861 में रियासत को अपने कब्जे में ले लिया था लेकिन कानून–व्यवस्था बनाने की चेतावनी के साथ 1873 में रियासत वापिस लौटानी पड़ी।[1]

अंग्रेजी माध्यम से डेली कॉलेज (इंदौर) और मेयो कॉलेज (अजमेर) में शिक्षित रणजीतसिंह (1894-1930) प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से शामिल हुए थे जिसके कारण उनका सलामी का दर्जा बढ़ाकर 9 तोपों के बजाय 11 तोपों का कर दिया गया था। अंग्रेजों के प्रति वफादारी के कारण स्थानीय शासकों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे।

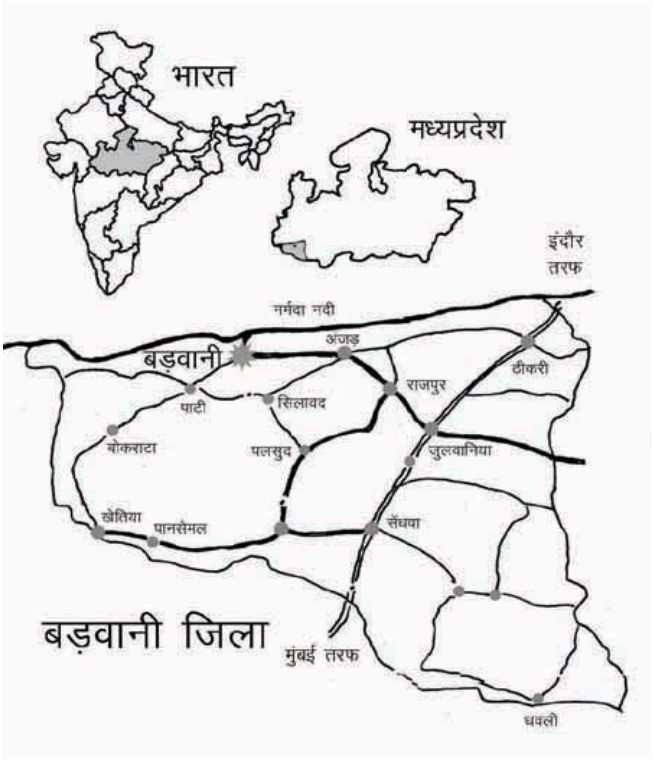

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही यहाँ आजादी की छटपटाहट कड़े आदिवासी विद्रोहों के रूप में दर्ज की गई। लेकिन, स्थानीय शासकों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इन संघर्षों का बर्बरतापूर्वक दमन किया और भीमा नायक जैसे स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों को बदनाम करने हेतु उन्हें लुटेरे घोषित करवा दिया।

[1] वेस्टर्न स्टेट्स (मालवा) गजेटियर, 1908 एवं खरगौन जिले का गजेटियर, 1970

देश की आजादी अधिकांश रजवाड़ों को रास नहीं आई और वे धीरे–धीरे एक के बाद एक बेमन से भारतीय गणराज्य में शामिल हुए। बड़वानी भी विकल्पहीनता की स्थिति में आज़ादी से साढ़े नौ माह बाद 31 मई 1948 को देश का हिस्सा बना। विलय के बाद बड़वानी को तत्कालीन मध्यभारत प्रांत के पश्चिमी निमाड़ (खरगौन) जिले की एक तहसील बनाया गया जो 25 मई 1998 को स्वतंत्र जिला बना। बड़वानी शहर में नगरपालिका की स्थापना 1908 को हुई थी।

बड़वानी के जलस्रोत

बड़वानी क्षेत्र में पर्याप्त वन संपदा, ठीक बारिश होने तथा जलदोहन की कमी के कारण यहाँ कोई विशिष्ट जल संरक्षण परम्परा अस्तित्व में आई दिखाई नहीं देती है। शहर के बारे में भी लगभग यही स्थिति है। शहर के बीच से गुजरने वाला धोबड़िया नाला तथा शहर के पश्चिमी भाग से बहने वाला रामकुल्लेश्वर नाला इसके प्रमुख प्राकृतिक जलस्रोत रहे हैं। इन जलस्रोतों का उपयोग पीने में तो नहीं होता था लेकिन निस्तार में ये जरूर काम आते थे। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार करीब 30 वर्ष पहले तक ये नाले साल में 8-10 माह बहते रहते थे तथा इनमें 2-3 फूट तक पानी रहता था।

धोबड़िया (बड़वानी टैंक) रियासतकालीन निस्तार तालाब था। अगस्त 1972 की बारिश में इसके टूट जाने से अप्रैल 1974 में अकाल राहत के तहत इसका पुनर्निर्माण शुरू किया गया। 3,57,700 रूपए की लागत से 1976 में यह फिर से बन कर तैयार हुआ। इसकी क्षमता वृद्धि कर इससे सिंचाई का भी प्रावधान किया गया। इसका कमान क्षेत्र 300 एकड़ (200 एकड़ खरीफ तथा 100 एकड़ रबी) था। इसका केचमेंट एरिया 1.8 वर्ग मील या 4.66 वर्ग किमी है।[2] परियोजना से 2 किमी लम्बी नहर निकाली गई जिससे कसरावद तथा सेगाँव की 245 एकड़ (185 रबी तथा 60 एकड़ खरीफ) जमीनें सिंचित होने की बात कही गई थी।[3] पूर्ण जलाशय स्तर पर तालाब का विस्तार 36 एकड़ हो जाता था। **सागरविलास तालाब** बड़वानी के पूर्व शासक के निवास 'सागर विलास पैलेस' से लगा हुआ अंजड़ नाके के पास स्थित था। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार यह तालाब राजमहल का हिस्सा रहा है लेकिन इसके संबंध में कोई तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया। भले ही ये दोनों तालाब नगर को सीधे पेयजल उपलब्ध नहीं करवाते थे लेकिन इनका नगर के कुएँ और बावड़ियों के रिचार्ज में बड़ा योगदान रहा है।

---

[2] अधीक्षण यंत्री, सिंचाई, खरगौन की कार्यस्थल निरीक्षण रपट, दिनांक 7 दिसंबर 1972

[3] कलेक्टर खरगौन का जल संसाधन विभाग को लिखा पत्र दिनांक 9 अगस्त 1973 जिसके माध्यम से इस लघु सिंचाई परियोजना से लाभांवित किसानों पर सिंचाई शुल्क आरोपित करने पर सहमति दी गई थी।

पाईप से जलप्रदाय शुरू होने के पूर्व मुख्य रूप से शहर की पेयजल की जरूरत कुएँ–बावड़ियों से पूरी होती थी। बड़वानी के पुराने आबादी क्षेत्र में लगभग हर दूसरे घर में कुएँ थे। जिनके घरों में कुए नहीं थे वे सार्वजनिक कुएँ–बावड़ियों से जरूरत का पानी लेते थे।

बड़वानी में जल उपलब्धता

अ.क्र.	स्रोत का नाम	क्षमता (MLD में)
1.	नया फिल्टर प्लांट	10.4
2.	नया फिल्टर प्लांट	4.9
3.	कुएँ और हेण्डपम्प	0.12
योग		15.42

***Source** - Docs made available by Nagar Palika and Table No. 5.1.1 of Badwani CDP, Page-39*

नगरपालिका के वर्ष 2005-06 के बजट के अनुसार नगर में 140 सार्वजनिक कुएँ थे जिनमें से अब मात्र 53 कुएँ ही शेष रह गए हैं।[4] नगरपालिका द्वारा संधारित सूची से कुओं की स्थिति पता करना बड़ा मुश्किल काम है। कुओं की सूची उन लोगों के लोगों के नामों से बनाई गई है जिनके घरों के निकट ये स्थित हैं।[5] यदि सूची के अनुसार कुओं को ढूँढा जाए तो पहले उन लोगों को खोजना पड़ेगा जिनके घरों के आगे या पीछे कोई कुआ हैं। ताजा जानकारी के अनुसार नगर में 61 हेण्डपम्प (51 चालू) और 9 मशीनीकृत ट्यूबवेल (6 चालू) है। बड़वानी में मासीबा की बावड़ी (शाही मस्जिद के पीछे), भूरा मारू की बावड़ी (मोटीमाता चौक) इाक्र चंपा बावड़ी (झण्डा चौक) प्रमुख थी।

जलस्रोतों की वर्तमान दशा

धोबड़िया तालाब को पीछे हटा कर शासकीय कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनियाँ बना दी गई है। वर्ष 2011 की गर्मी में जलाभिषेक अभियान के तहत शहरवासियों ने श्रमदान कर इसकी क्षमता बढ़ाने में सहयोग दिया था लेकिन इस बढ़ी हुई क्षमता में डीआरपी, मॉडल कॉलोनी तथा ऑफिसर्स कॉलोनी में रहने वाले सरकारी सेवक निरंतर अपने घरों का गंदा पानी जमा कर रहे हैं। सरकार जलसंरक्षण का ढिंढोरा पीट रही है और उसी के आला अफसर तालाब को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। धोबड़िया वैसे तो सिंचाई तालाब है लेकिन अब इसे पर्यटन स्थल बताया जा रहा है।

सागर विलास तालाब को पाट कर कुछ सालों तक इसमें खेती होती रही अब यहाँ कॉलोनियाँ आकार ले रही है और अस्पताल, दो–पहिया वाहन शोरूम, होटल तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खड़े हो रहे हैं। इस तालाब की जमीन का उपयोग बदलने के खिलाफ एक अभियान भी चलाया गया था। एक समय की

[4] नगर विकास योजना के पृष्ठ क्रमांक 42 की तालिका में तो मात्र 30 कुओं का ही उल्लेख है।

[5] उदाहरण के लिए निगम सा॰ के मकान के पीछे (सरल क्र॰–2), खरगोश चाचा के मकान के सामने (सरल क्र॰–6), पुरूषोत्तम यादव के मकान के सामने (सरल क्र॰–7), तातेड़ मेडम के पास (सरल क्र॰–11), अनिता नमकीन वाले के मकान के पीछे (सरल क्र॰–21), बड़के बाबु के सामने (सरल क्र॰–26), कापड़िया मेडम के मकान सामने (सरल क्र॰–35), बाकीर बाबु के मकान के पीछे (सरल क्र॰–42), मंजु मेडम के मकान के पीछे (सरल क्र॰–51)। हेण्डपंपों की सूची का भी यही हाल है।

शानदार बावड़ियों को खोजना अब मुश्किल हो गया है। चंपा बावड़ी जैसी पुरातात्विक धरोहर तक को तो बेच कर उसके ऊपर एक भवन खड़ा कर दिया गया है और दूसरा निर्माणाधीन है। नगरपालिका के अनुसार बहुत कम सार्वजनिक कुएँ उपयोगलायक बचे हैं। पिछले 6 वर्षों में 87 कुए गायब हो चुके है यानी हर साल 9 कुएँ गायब हो रहे हैं। इन कुओं की की डकैती पर नज़र रखने वाला कोई नहीं दिखाई देता लेकिन दूसरी ओर कई परिवार पीने के लिए अभी भी कुएँ के पानी का ही उपयोग कर रहे हैं।

शहर के मध्य से निकलने वाले धोबड़िया नाले में पानी की आवक सिर्फ बारिश के कुछ महीनों तक सीमित रह गई है। रामकुल्लेश्वर नाले में भी अब केवल बारिश के दिनों में ही पानी दिखाई देता है। 97 वर्षीय अब्दुल लतीफ बुंदेली पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि बड़वानी में इफरात पानी था। कुओं में 7-8 फूट पर पानी आ जाता था। हमारे जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं था कि पानी जैसी चीज का कभी संकट पैदा होगा।

बड़वानी में जलप्रदाय तंत्र

बडवानी नगर का भौगोलिक क्षेत्र 6.58 वर्ग किमी या 658 हेक्टर है तथा जनसंख्या 54 हजार है।[6] बड़वानी में प्रतिदिन 40 लाख लीटर जलप्रदाय बताया जाता है।[7] जलप्रदाय हेतु कसरावद पंपिंग स्टेशन पर 100 हॉर्स पॉवर की दो मोटरें तथा नए फिल्टर प्लांट पर 125 हॉर्स पॉवर की दो मोटरें स्थापित है। इसी प्रकार राजघाट में 30 हॉर्स पॉवर की दो सबमर्सिबल मोटरें तथा पुराने फिल्टर प्लांट 100 हार्स पॉवर की एक मोटर स्थापित है।

पेयजल भण्डारण हेतु 2,500 किली (1,000 किलोलीटर की 2 तथा 500 किली की एक टंकी) का उल्लेख किया जाता है लेकिन रोज भरी जाने वाली कलेक्टर कार्यालय की 500 किली की क्षमता वाली टंकी का जलप्रदाय तंत्र में कहीं उल्लेख ही नहीं किया जाता है।[8]

सुखविलास कॉलोनी, नवलपुरा, रूक्मणी नगर, अमित नगर, श्रीराम नगर, बृजविहार कॉलोनी, कोली मोहल्ला, कांजी हाउस, वृंदावन कॉलोनी, महावीर नगर, पुराना हाउसिंग बोर्ड, रानीपुरा, चूना भट्टी आदि इलाकों में राईजिंग लाईन से जलप्रदाय होता है। कुछ हिस्सों में टंकी और राईजिंग लाईन दोनों से एक साथ जलप्रदाय किया जाता है। एमजी रोड़ में 14 इंच लाईन है जिसे भरने के लिए काफी मात्रा में पानी लगता है। इसलिए, इस इलाके में टंकी से जलप्रदाय के साथ कोर्ट चौराहा (मुक्तानंद पान सदन के पास) से राईजिंग लाईन का 6" का वाल्व खोलकर

[6] बड़वानी का विकसित क्षेत्र 228 हेक्टर है जिसमें में 86 हेक्टर आबादी हेतु उपयोग की गई है।

[7] नगर विकास योजना, पृष्ठ-63

[8] इनके अतिरिक्तत पानवाड़ी तथा मॉडल स्कूल परिसर में 2 संपवेल भी है जिसे भण्डारण क्षमता में शामिल नहीं माना गया है।

पानी मिलाना पड़ता है ताकि पर्याप्त दबाव से पानी का वितरण हो सके। लक्ष्मी टाकीज, बोहरा मोहल्ला, रानीपुरा, हरिजन मोहल्ला, दशहरा मैदान आदि में राईजिंग लाईन के साथ ट्यूबवेल का पानी मिलाते हैं। लेकिन ट्यूबवेल से मिले वाले पानी की मात्रा उपेक्षणीय है।

झामरिया, नवलपुरा आदि इलाकों में जलप्रदाय हेतु सीमेंट की पाईप लाईनें है। पेड़ की जड़ों से क्षतिग्रस्त होने पर इनमें कभी–कभी परेशानी होती है, लेकिन मोटे तौर पर शहर की वितरण लाईनों की स्थिति तथा प्रदाय किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता ठीक है। पानी की गुणवत्ता के बारे में नागरिकों से भी ज्यादा शिकायतें सुनने को नहीं मिली।

कुवो सम्बंधी जानकारी

क्र.	स्थान जहाँ स्त्रोत स्थित है।
1	2
1	शिव मंदिर चौराहा नवलपुरा
2	निगम सा. के मकान के पिछे
6	खरगोश चाचा के मकान के सामने
7	पुरूषोतम यादव के मकान सामने
11	लातेउ मेडम के मकान के पास
21	अजित नमकीन वाले के मकान पिछे
26	बउके बाबु के सामने
27	प्रभु हलवाई के सामने
35	कपडिया मेडम के मकान सामने
42	बाकीर बाबु के मकान पिछे
51	मंजु मेडम के मकान के पिछे रानीपुरा

नर्मदा एक स्रोत के रूप में

बड़वानी शहर की पूरी जलप्रदाय व्यवस्था कुएँ–बावड़ियों पर निर्भर रही है। इन कुएँ–बावड़ियों को धोबड़िया तथा सागर विलास तालाब और स्थानीय नाले रिचार्ज करते रहते थे। लेकिन सत्तर के दशक में कुछ सालों तक सूखा पड़ा जिससे स्थानीय जलस्रोत कम पड़ने लगे थे। इसी दौरान राजघाट में मोटर पंप रखकर 6 इंच व्यास की सीमेंट पाईप लाईन डालकर बड़वानी का जलसंकट दूर किया गया। इस योजना के तहत पहले कुछ स्थानों पर सार्वजनिक टंकिया रखी गई फिर घरों में भी नल कनेक्शन दिए गए। बाद में जरूरत पड़ने पर रणजीत चौक में नाले के पास (संगीत सरिता के पास) वाले कुएँ पर टंकी बनाकर वहाँ से भी जलप्रदाय आवर्धन किया गया। पाईप से मिलने वाले पानी के कारण समुदाय कुएँ–बावड़ियों की उपेक्षा करने लगा जिससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता बढ़ने लगी। कुछ वर्षों में यह योजना नाकाफी हुई।

1977 में चिखल्दा में पंपिंग स्टेशन बनाकर एक बड़ी जलप्रदाय योजना शुरू की गई। इस योजना के फिल्टर प्लांट (राजघाट रोड़) की क्षमता 49 लाख लीटर प्रतिदिन थी। यह योजना सुचारू रूप से संचालित होती रही। इसी दौरान नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (नघाविप्रा) ने सरदार सरोवर परियोजना से डूबने वाली इस जलप्रदाय योजना के बदले नया पंपिंग स्टेशन (कसरावद), 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का फिल्टर प्लांट (कसरावद बसाहट) और शहर तक नई पाईपलाईन डाल कर एक तरह से नया जलप्रदाय तंत्र तैयार कर दिया। इस योजना से जनवरी 2008 से जलप्रदाय प्रारंभ कर दिया गया।[9]

[9] कुछ दस्तावेजों में अगस्त 2008 भी अंकित है।

हालांकि 49 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के पुराने जलप्रदाय तंत्र से भी वर्ष 2008 के प्रारंभ तक पर्याप्त आपूर्ति हो रही थी।[10] नघाविप्रा द्वारा तैयार 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नया तंत्र काम करने लगा तो 49 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के पुराने तंत्र को बंद कर दिया गया। लेकिन, मुश्किल से 2 वर्ष भी नहीं बीते कि नया तंत्र कम पड़ने लगा और दिसंबर 2011 में 49 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का पुराना संयंत्र फिर से चालू कर करना। अब तो दोनों ही तंत्र एक साथ चल रहे है फिर भी जल संकट बता कर पहले UIDSSMT पर और अब मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। नर्मदा से ज्यादा से ज्यादा पानी लेने के चक्कर में स्थानीय जलस्रोतों को भूला दिया गया है। पिछले 2 दशकों से प्रदेश में जोर–शोर से जलसंरक्षण अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद शहर के जल आवर्धन की योजना हो या नई योजना नर्मदा के अलावा किसी अन्य विकल्प पर विचार तक नहीं किया गया है।

[10] सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार जलप्रदाय की समस्याओं के संबंध में नगरपालिका को पिछले 10 वर्षों में मात्र 5 आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं। ये सभी ज्ञापन जलप्रदाय में प्रबंधन संबंधी समस्याओं से संबंधित थे। इन 10 वर्षों में से 7 वर्षों में किसी भी नागरिक से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

नए जलप्रदाय तंत्र के प्रयास

बड़े शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचे में नियोजित तरीके से सुधार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 2005 में जवाहरलाल शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) नामक एक बड़ी योजना प्रारंभ की गई। ''छोटे तथा मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना' (Urban Infrastructure Development Schemes for Small and Medium Town या UIDSSMT) भी इसी के तहत आती है। इन योजनाओं की पूर्व तैयारी के रूप में नगर विकास योजना (City Development Plan या CDP) तैयार करवाई जाती है। सीडीपी में अगले 30 वर्षों की जरूरत के हिसाब से बुनियादी ढाँचा विकास तथा उसके लिए वित्त प्रबंधन की योजना शामिल होती है।[11] पहले यही काम नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग द्वारा बनाए गए शहरों के मास्टर प्लान के माध्यम से किया जाता था।

मध्यप्रदेश में नगरीकरण की दर राष्ट्रीय औसत 28% के बराबर है जो अगले 15 वर्षों में बढ़कर 30% हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इस केंद्रीय योजना का लाभ लेने हेतु राज्य स्तर पर प्रयास शुरू किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के संपूर्ण 360 नगरीय निकायों[12] की सीडीपी तैयार करने हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2013–14 तक के लिए 23 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।[13] 50 हजार से 30 लाख की आबादी वाले नगरों की नगर विकास योजना (सीडीपी) बनाने हेतु जुलाई 2009 में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अभिरूचि का आमंत्रण (Request for Proposal या RfP) जारी कर 38 फर्मों को 96 शहरों की सीडीपी तैयार करने का ठेका दिया गया था। बड़वानी की सीडीपी इंदौर की सलाहकारी फर्म इको–प्रो–इंवायरनमेंट द्वारा तैयार की की गई जिसके बदले फर्म को 15 लाख रूपए का भुगतान किया गया।

सीडीपी निर्माण हेतु प्रस्तावित खर्च

वित्तीय वर्ष	**बजट प्रावधान** (करोड़ रूपए)	**सीडीपी निर्माण हेतु निर्धारित नगरनिकाय**
2010-11	10.52	106
2011-12	3.75	79
2012-13	3.75	75
2013-14	5.00	100
योग	23.02	360

स्रोत–नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग द्वारा जुलाई 2009 में जारी अभिरूचि का आमंत्रण

[11] नगर विकास योजना में जलप्रदाय के साथ शिक्षा, परिवहन एवं व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित बुनियादी ढाँचे हेतु उपलब्ध भूमि का नियोजन एवं निवेश योजना का समावेश होता है। हमने इस अध्ययन में केवल जलप्रदाय से संबंधित अंशों पर ही टिप्पणी की है।

[12] मध्यप्रदेश में 14 नगरनिगम, 96 नगरपालिका और 250 नगर पंचायतें हैं

[13] राज्य शासन की प्रचार पुस्तिका Inclusive Urban Planning in Madhya Pradesh, पृष्ठ–7

सीडीपी में जलप्रदाय, जल मलनिकास, तुफानी जल निकास, स्वच्छता, परिवहन, गरीबों के लिए आवास निर्माण जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ नगरीय अभिशासन हेतु निवेश योजना (सिटी इन्वेस्टमेंट प्लान) भी तैयार की जानी थी। लेकिन, निवेश योजना पर सलाहकारी फर्म ने बहुत ही कम ध्यान दिया है और उसकी सिफारिशें एक ही ढर्रे की है। हर मर्ज का एक ही इलाज–सेवाओं को पीपीपी के तहत निजी कंपनियों का सौंपा जाए। फर्म फीस सरकार से ली और पैरवी की निजी कंपनियों की।

पीपीपी

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी निजीकरण की पोषक एजेंसियों ने पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल अपनाने हेतु तीसरी दुनिया के देशों पर दबाव डाला। हमारी सरकार ने देश की विकास दर में बढ़ोत्तरी के लिए बुनियादी ढाँचे में बड़े निवेश की जरूरत और और सार्वजनिक धन की कमी का कारण बताते हुए पीपीपी का मॉडल प्रस्तुत किया। पीपीपी निजीकरण का ऐसा मॉडल है जिसके तहत पूँजी निवेश निजी कंपनियाँ नहीं बल्कि सरकार स्वयं करती है और बगैर किसी राजनैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी और वित्तीय जोखिम के लंबे समय के लिए निजी कंपनियों को सुनिश्चित कमाई का अधिकार दे देती है।

पीपीपी एक व्यापक शब्दावली है जिसमें निर्माण, संचालन और संधारण, प्रबंधन अनुबंध, सेवा अनुबंध, ठेकेदारी आदि कुछ भी हो सकता है लेकिन, इसमें भागीदारी जैसा कुछ भी नहीं है। सरकार और सेवा प्रदाता कंपनी के बीच अनुबंध में उपभोक्ताओं से सेवा शुल्क के भुगतान की शर्त होती है। किसी वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान न करने की स्थिति में सरकार सेवा प्रदाता कंपनी को अनुदान दे देती है। पानी के क्षेत्र की प्रमुख पीपीपी परियोजनाओं में विशाखपत्तनम, खण्डवा, देवास, तिरूपुर, आदि शामिल हैं। अगले वर्ष से बड़वानीवासियों को भी इसका अनुभव होने जाने की संभावना है।

सीडीपी निर्माण का कार्य स्थानीय जरूरत के हिसाब से नहीं हुआ है। इसके लिए स्थानीय निकायों से न तो कोई सलाह ली गई और न ही उनकी अपेक्षाएँ पूछी गई। स्थानीय निकायों ने भी इस पर कोई सवाल किए बगैर उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन किया। बड़वानी की सीडीपी तैयार हो जाने के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा इसे स्वीकृत करने का निर्देश (वास्तव में आदेश)[14] नगरपालिका को दिया गया था जिसे बड़वानी नगरपालिका ने 22 फरवरी 2011 को शिरोधार्य कर लिया। जिस समय नगरपालिका ने सीडीपी स्वीकार करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया उस समय निर्वाचित परिषद अस्तित्व में नहीं थी।[15]

अपने आपको कुशल (?) व्यावसायिक कहने वाले सलाहकारों द्वारा तैयार सीडीपी में तथ्यात्मक रूप से बड़ी गलतियाँ है। सीडीपी बनाने वाली फर्म ने शहर की जलप्रदाय व्यवस्था के बारे में निम्न आधारहीन तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं –

अ.क्र.	दर्शाए गए तथ्य	तथ्यों की हकीकत
1.	पंपिंग स्टेशन से शहर तक लाईन में कई लीकेज है। (सीडीपी में पृष्ठ-III)	पंपिंग स्टेशन (कसरावद) से फिल्टर प्लांट (कसरावद बसाहट) तक तथा फिल्टर प्लांट से ओवरहेड टंकियों तक एनवीडीए द्वारा नई पाईपलाईन डाली गई है जिसे 2008 में चालू किया गया है। CPHEEO दिशानिर्देशों के अनुसार पाईप लाईनों का जीवन काल कम से कम 30 वर्ष तथा विद्युत पंपों 15 वर्ष होता है। हमारे निरीक्षण में भी लाईन में किसी तरह को लीकेज नहीं पाया गया।
2.	क्षेत्र में बिजली बहुत कम है	पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट को एक्सप्रेस लाईन से बिजली

[14] नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय का पत्र क्र 534, दिनांक 5 फरवरी 2011

[15] सीडीपी स्वीकार करने संबंधी नगरपालिका का संकल्प क्र॰ 23, दिनांक 22 फरवरी 2011 नगरपालिका की प्रभारी अधिकारी (स्थानीय एसडीएम) एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।

	(पृष्ठ-III)।	मिलती है। यह लाईन विद्युत कटौती से मुक्त है।
3.	पानी की माँग 135 एलपीसीडी के हिसाब से (टेबल 5.7.1)	बड़वानी जैसे छोटे कस्बों के लिए 135 एलपीसीडी के हिसाब से गणना करना सही नहीं है। यह योजना की लागत बढ़ाने का एक सोचा–समझा तरीका है। सलाहकार योजना लागत के आधार पर अपनी फीस लेते हैं। योजना की लागत जितनी ज्यादा होगी उनकी फीस भी उतनी ही ज्यादा होगी। CPHEEO दिशानिर्देशों के अनुसार जिन कस्बों में भूमिगत सीवर नहीं हैं उनके लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 70 लीटर पानी की आपूर्ति ही आवश्यक होती है। इस प्रकार सलाहकार द्वारा आकलित पानी की माँग शहर की वर्तमान वास्तविक जरूरत से करीब तीन गुना अधिक है।
4.	बड़ी संख्या में अनधिकृत एवं सार्वजनिक कनेक्शन (टेबल 7.10)	नगरपालिका के प्रस्ताव दिनांक 4 फरवरी 2005 के अनुसार बड़वानी में 24 में से 16 वार्ड बुनियादी सुविधाओं रहित मलिन बस्ती (स्लम) की श्रेणी के हैं। बड़वानी की 70% आबादी स्लम में निवास करती है लेकिन इसके बावजूद बड़वानी में 70% परिवारों के पास अपने नल कनेक्शन है। यह कनेक्शनों की बेहतर स्थिति दर्शाता है। रिकार्ड के अनुसार कस्बे में 468 सार्वजनिक नल हैं। नगरपालिका के पास अनधिकृत कनेक्शनों का कोई आँकड़ा नहीं है।
5.	अविश्वसनीय आँकड़े	सीडीपी निर्माण के लिए फर्म नें 15 लाख रूपए की भारी भरकम फीस ली हैं लेकिन उसका काम स्तरीय नहीं है। सीडीपी में आँकड़ों की कई बड़ी गलतियाँ की गई है। कहीं जिले का भौगोलिक क्षेत्र 5422 वर्ग किमी तो कहीं 3665 वर्ग किमी लिखा गया है। इसी प्रकार शहर का भौगोलिक क्षेत्र कहीं 28.66 वर्ग किमी तो कहीं 6.56 वर्ग किमी लिखा है। भू–उपयोग का प्रतिशत कहीं शहर के राजस्व क्षेत्र से निकाला गया है तो कहीं नगरपालिका क्षेत्र से।

इसके अतिरिक्त सीडीपी में जलप्रदाय तथा मलनिकास के निजीकरण की वकालत की गई है। जल दरें शहर की जरूरत के हिसाब से संशोधित करने, जलप्रदाय की पूर्ण लागत वसूली तथा अपशिष्ठ प्रबंधन की संचालन–संधारण लागत भी वसूलने की भी अनुशंसा की गई है।

सीडीपी में एक ओर तो बड़वानी की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान बताया गया है लेकिन दूसरी ओर शहर से मवेशियों को दूर स्थानांतरित किए जाने या मवेशियों पर लायसेंस शुल्क लगाए जाने की अजीब सी अनुशंसा की गई है। यह तर्क समझ से परे हैं। सिरवी मोहल्ला, नवलपुरा, सोरठ मोहल्ला, सेगाँव, माली मोहल्ला आदि में किसानों की आबादी बहुतायत में है। वे अपने पशुओं को लेकर कहाँ जाएँगें? यदि वे अपने पशुओं के पुनर्वास हेतु तैयार न हो तो किसान या पशुपालक होने के लिए उन्हें टेक्स लगा कर दण्डित किया जाएगा?

सलाहकारी फर्म ने मोटा मेहनताना वसूलने के बावजूद सीडीपी निर्माण को हल्के ढंग से लिया तथा स्थानीय परिस्थितियों पर पर्याप्त विचार की मेहनत करने के बजाय ''कॉपी–पेस्ट'' कमाण्ड का पूरी आजादी से उपयोग किया। शायद इसीलिए एक शहर की योजना के वाक्य दूसरे शहर की योजना में भी हूबहू पाए जाते हैं।

तथ्यात्मक गलतियाँ होने का एक बड़ा कारण सीडीपी का थोक में निर्माण है। छोटे नगरनिकायों के स्तर पर ऐसे मानव संसाधन का सर्वथा अभाव है जो इन दस्तावेजों का अध्ययन कर उन पर अपने सुझाव दे पाने की स्थिति में हों। जिस उच्च स्तर पर थोक में ये दस्तावेज

तैयार करवाए गए वहाँ भी इनकी गुणवत्ता और तथ्यों पर नज़र रखने वाला तंत्र मौजूद नहीं था। सरकार की इसी कमजोरी के कारण सलाहकारी फर्मों ने अमानक तथा तथ्यहीन दस्तावेजों के बावजूद अपनी मोटी फीस वसूल ली। एक प्रकार से फर्म ने सरकारी पैसों से निजी कंपनियों की कंसलटेंसी कर दी। इसके बावजूद फर्म को भुगतान अपनी फीस प्राप्त करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई।

सीडीपी निर्माण हेतु जन सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की संचालन समिति[16] बनाकर उनसे विचार–विमर्श भी किया गया। समिति सदस्यों की अपेक्षाओं में कहीं भी निजीकरण का समर्थन स्पष्ट नहीं हुआ। बाद में हमने सीडीपी निर्माण सलाहकार समिति के कुछ सदस्यों से पुनः अलग से भी चर्चा की लेकिन, उनमें से किसी ने पानी के निजीकरण का समर्थन नहीं किया। फिर किस आधार पर सलाहकार फर्म ने जन–निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से पानी के निजीकरण की वकालत कर दी?

बड़वानी में यूआईडीएसएसएमटी

जब नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का जलप्रदाय तंत्र[17] का निर्माण किया जा रहा था और अगले एक वर्ष में यह तंत्र तैयार होना निश्चित था तभी अगस्त 2006 से नगरपालिका ने एक समानांतर योजना ''छोटे तथा मझौले शहरों की अधोसंरचना विकास योजना' या Urban Infrastructure Development Schemes for Small and Medium Town या UIDSSMT पर काम प्रारंभ कर दिया था। केन्द्र सरकार समर्थित इस योजना के लिए आवश्यक निवेश का 80% तथा 10% हिस्सा क्रमशः केन्द्र और राज्य सरकारों से अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। शेष 10% राशि संबंधित नगरनिकाय को जुटानी होती है।

UIDSSMT में प्रदेश के स्थानीय निकायों की रूचि अपेक्षा से अधिक रही हैं। जून 2012 की स्थिति में मध्यप्रदेश के 50 शहरों में 1231 करोड़ रूपए की लागत वाली 68 परियोजनाएँ संचालित है। इनमें से 990 करोड़ रूपए की लागत वाली 47 शहरों की परियोजनाएँ पानी से संबंधित है। देश के कुछ शहरों में पेयजल तंत्र के पुनर्वास हेतु बड़े पैमाने पर पूँजी निवेश की जरूरत हो सकती है लेकिन, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। बड़वानी में पिछले 5 वर्षों में न तो कभी जलसंकट की स्थिति निर्मित हुई है और न ही अब ऐसी स्थिति है।

वर्ष 2037-38 की शहर की जनसंख्या के लिए 5 करोड़ 54 लाख की इस जलप्रदाय आवर्धन योजना को तैयार करने का ठेका 28 अगस्त 2006 को इंदौर की सलाहकारी फर्म 'बड़जात्या एण्ड एसोसिएट्स' को योजना लागत के 1.24% यानी 6 लाख 87 हजार रूपए में दिया गया था। योजना में पाईप लाईन के अलावा कसरावद स्थित पंपिंग स्टेशन पर 3 नए पम्प लगाना, 1 करोड़ 55 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का फिल्टर प्लांट बनाना, 3000 किलोलीटर

---

[16] सीडीपी संचालन समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी थे। सदस्यों में सर्वश्री राजन मडलोई, कार्यपालन यंत्री, पीएचई, कार्यपालन यंत्री, पीडब्ल्यूडी, उपयंत्री नगरपालिका, सुभाष जोशी, डॉ॰ ओ॰पी॰ खण्डेलवाल, ओमप्रकाश जैन, डॉ॰ आर॰ आर॰ कान्हेरे, के॰टी॰ मडलोई, जितेन्द्र कुमार जैन, डॉ॰ आर॰एन॰ शुक्ला, डॉ॰ दिनेश वर्मा, मोती सुल्ताने, शिवपालसिंह सिसोदिया, प्रदीप शर्मा, एम॰एस॰ मंसूरी शामिल थे।

[17] पुराना जलप्रदाय तंत्र सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित होने के कारण नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नई योजना बना कर दी गई है।

क्षमता की 3 नई टंकियाँ बनाना और 3 किमी वितरण लाईनें बिछाना प्रस्तावित था। ध्यान रहे कि नघाविप्रा द्वारा निर्माणाधीन योजना में भी लगभग यही घटक थे। नघाविप्रा की योजना से जनवरी 2008 में पेयजल प्रदाय प्रारंभ हो जाने के बाद भी UIDSSMT पर समानांतर रूप से कार्य जारी रहा। इस बात का जवाब अब भी किसी के पास नहीं है कि एक कस्बे के लिए एक साथ दो पेयजल योजनाओ पर काम क्यों जारी था।

जब नघाविप्रा की योजना से जलप्रदाय प्रारंभ हुआ ठीक उसी समय जनवरी 2008 में UIDSSMT की विस्तृत परियोजना रपट (डीपीआर) का पहला प्रारूप तैयार हुआ जिसमें जून 2008 में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा कुछ कमियाँ बताई गई थी। लेकिन इन कमियों को पूरा करने का दिसंबर 2011 तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया[18] और अंत में नगरपालिका ने सलाहकार को चेतावनी देकर इस योजना को एकतरफा खत्म कर दिया।

यूआईडीएसएसएमटी का घोषित उद्देश्य स्थानीय निकायों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बना कर उन्हें पब्लिक–प्रायवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) या जन–निजी–भागीदारी को आकर्षित करने योग्य बनाना है। पीपीपी एक प्रकार का निजीकरण है जिसमें अधिकांश निवेश सरकारी होता है और सिर्फ प्रबंधन के नाम पर निजी कंपनियाँ दशकों तक मोटी कमाई करती है। इसके तहत मिलने वाले अनुदान अपेक्षा से कहीं बड़े होते हैं जिसके कारण स्थानीय स्तर पर उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। शायद इसी वजह से इस परियोजना को भी आगे बढ़ाया जा रहा था।

बड़ी लागत की योजनाएँ होने के कारण इसकी अंशदान राशि भी स्थानीय निकायों के लिए काफी बड़ी होती है। उदाहरण के लिए 30 करोड़ के सालाना बजट वाले खण्डवा नगरनिगम की क्षमता 116 करोड़ की पेयजल योजना के लिए 10% अंशदान वहन करने की नहीं थी। इसलिए इस अंशदान राशि के लिए ही पूरे शहर की जलप्रदाय व्यवस्था एक निजी कंपनी को 25 वर्षों के लिए सौंप दी गई। यदि बड़वानी में इस योजना को आगे बढ़ाया जाता तो नगरपालिका को 55 लाख रुपए के अंशदान की व्यवस्था करनी पड़ती। यूआईडीएसएसएमटी के तहत माँग के अनुसार धन आसानी से उपलब्ध है इसलिए स्थानीय निकायों का रूझान अधिक लागत वाली योजनाओं तथा निजीकरण की तरफ है। ऐसे मामलों में सलाहकारी फर्में भी पूरी से तरह शामिल होती हैं।

यूआईडीएसएसएमटी के तहत निर्मित खण्डवा (म॰प्र॰) की जलप्रदाय योजना को एक निजी कंपनी 'विश्वा यूटिलीटिज एण्ड सर्विसेस लिमिटेड' को सौंप दिया है। निजीकरण की जनविरोधी शर्तों का अब वहाँ कड़ा विरोध हो रहा है। संभवतः यूआईडीएसएसएमटी के बहाने ही बड़वानी में भी पानी के निजीकरण की पहली बार जमीन तैयार की जा रही थी।

बड़वानी की UIDSSMT में 18 सितंबर 2008 के बाद न तो कोई प्रगति हुई और न ही नगरपालिका और सलाहकार के मध्य कोई पत्र–व्यवहार हुआ। लेकिन, नगरपालिका को अन्य सलाहकार फर्म वास्तुशिल्पी प्रोजेक्टस एण्ड कंसलटेंट्स प्रा॰ लिमि॰, भोपाल के माध्यम से जैसे ही

[18] 23 जून 200 नए कार्य, पाईपलाईन विस्तार और अन्य खर्च मदों को योजना में निवेश मानते हुए इसे जलप्रदाय खर्च में नहीं जोड़ा है। 8 के बाद नगरपालिका सिर्फ 19 दिसंबर 2011 यानी साढ़े तीन साल में केवल 3 पत्र लिखे गए जिसमें राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा बताई गई कमियाँ सुधारने का उल्लेख है। अंतिम पत्र में नगरपालिका ने सलाहकार से किया गया अनुबंध अपनी ओर से तोड़ने की सूचना दी।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के नाम पर 25 करोड़ रूपए की स्वीकृति की सूचना मिली उसी क्षण साढ़े पाँच करोड़ की यूआईडीएसएसएमटी योजना में नगरपालिका की रूचि खत्म हो गई। सलाहकार फर्म ने अपने पत्र दिनांक 17 दिसंबर 2011 माध्यम से यह सूचना नगरपालिका को भिजवाई थी।[19] संभव है फर्म में अन्य तरीकों से भी नगरपालिका से संपर्क किया हो। इसलिए, नगरपालिका ने बगैर देरी किए 19 दिसंबर 2011 को ही यूआईडीएसएसएमटी के सलाहकार को पत्र लिखकर उसके साथ हुआ डीपीआर निर्माण संबंधी अनुबंध अपनी ओर से रद्द करने की एकतरफा घोषणा कर दी।[20] उल्लेखनीय है कि नगरपालिका को मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के संबंध में अधिकृत सूचना नगरीय प्रशासन एवं विकास सचालनालय के पत्र 2 जनवरी 2012 के माध्यम से 4 जनवरी 2012 को प्राप्त हुई। वास्तविक रूप से योजना की नोटशीट इस दिन से प्रारंभ हुई लेकिन परियोजना के बारे में निर्णय दो सप्ताह पहले ही लिया जा चुका था।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना

नगरीय क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में 23 नवंबर 2011 को भोपाल में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की एक समीक्षा मीटिंग हुई थी। मीटिंग में पेयजल हेतु विभाग के बजट से वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने पर चर्चा हुई थी। तब विभाग के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए योजनाएँ स्वीकृत की गई थी। स्थानीय निकायों के चयन हेतु निम्न आधार तय किए गए थे –

(1) मुख्यमंत्री की घोषणा में शामिल किए गए निकाय

(2) ग्रीष्म ऋतु में संकट के दौरान अधिकतम दिनों के अंतराल से जलप्रदाय करने वाले निकाय।

(3) ऐसे निकाय जहाँ जलप्रदाय योजना नहीं है।

(4) ऐसे जिला मुख्यालय जहाँ प्रदाय किए जा रहे जल की मात्रा औसत से कम है तथा कवरेज एरिया भी कम है।

उपरोक्त आधार पर 493 करोड़ रूपए लागत की 37 नगरों की पेयजल योजनाएँ प्रस्तावित की गई थी। इन योजनाओं को मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना कहा गया तथा इन्हें वित्तीय वर्ष 2013-14 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किए जाने के मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे। लेकिन बड़वानी को उपरोक्त वर्णित आधारों में से किस आधार के तहत इस योजना में शामिल किया गया यह समझ से परे हैं।

---

[19] इसी पत्र में वास्तुशिल्पी प्रोजेक्टस एण्ड कंसलटेंट्स प्रा॰ लिमि॰ ने यह सूचना भी दी थी कि फर्म डीपीआर निर्माण का कार्य भी करती है।

[20] यूआईडीएसएसएमटी योजना के सलाहकार ने 5 जनवरी 2008 को डीपीआर का पहला प्रारूप तैयार किया था जिसमें राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी ने 11 जून 2008 को कुछ कमियाँ बताई थी। इसके बाद 18 सितंबर 2008 तक नगरपालिका ने सलाहकार को 3 पत्र लिखे जिसमें कमियाँ सुधारने का उल्लेख था। चौथा पत्र 3 वर्ष बाद 19 दिसंबर 2011 को तब लिख गया जब 25 करोड़ की योजना की स्वीकृति की सूचना अन्य सलाहकार के माध्यम से मिल गई थी। इस पत्र में 7 दिन में कमियाँ सुधारने अथवा अनुबंध रद्द करने की चेतावनी दी गई थी। जो काम साढ़े 3 सालों में नहीं हुआ वह 7 दिन में कैसे हो सकता था?

इस योजना में भी UIDSSMT की तरह नगरीय निकायों से अंशदान प्रस्तावित किया गया तथा इसके लिए संबंधित निकायों से संकल्प पारित करवाए गए। 50 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरीय निकायों के लिए योजना लागत का 10% तथा शेष नगरनिकायों के लिए 20% अंशदान लिए जाने का प्रावधान किया गया है। जिस समय बड़वानी नगरपालिका के सालाना बजट से 3 गुना बड़ी **'मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना'** के भारी–भरकम अंशदान का निर्णय लिया जाना था तब कोई निर्वाचित परिषद अस्तित्व में नहीं थी इसलिए नगरपालिका की प्रभारी अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने ही 5 जनवरी 2012 को संकल्प पारित कर शासन को बड़ी आसानी से यह विश्वास दिलवा दिया कि 6 करोड़ के सालाना बजट वाली नगरपालिका अपनी तरफ से 4 करोड़ रूपए का योगदान दे देगी। संकल्प में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि नगरपालिका अपनी अंशराशि की व्यवस्था कैसे करेगी। अधिकारी स्तर पर लिए गए इस निर्णय औचित्य या नगरपालिका की आर्थिक स्थिति पर उच्चाधिकारियों ने कोई सवाल नहीं किया।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का आकल्पन

बड़वानी की वर्तमान जनसंख्या 54,000 और परिवारों की संख्या 10400 है।[21] कस्बे की वर्ष 2042 की जनसंख्या 84,000 के लिए परियोजना का आकल्पन किया गया है। योजना के पंपिंग स्टेशन और जलशोधन संयत्र की डिजाईन और लागत आंकलन 1 करोड़ 13 लाख लीटर/दिन (11.34 एमएलडी) क्षमता के आधार किए गए हैं। पहले चरण वर्ष 2027 तक के लिए 92 लाख लीटर प्रतिदिन (9.18 एमएलडी) पानी की आवश्यकता होगी इसलिए पहले इसी क्षमता के अनुरूप विद्युत पंप स्थापित जाएँगें। यदि यह योजना शुरू होती है तो पहले दिन से ही इससे शहर को 168 एलपीसीडी यानी हर नागरिक को महानगर के मानक से अधिक पानी मिलेगा।

बड़वानी के लिए पानी की जरूरत की गणना केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (CPHEEO) के दिशानिर्देशों का हवाला देकर 135 एलपीसीडी के हिसाब से की गई है। CPHEEO दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे कस्बों, जहाँ भूमिगत मलनिकास प्रणाली नहीं है, में पानी की जरूरत मात्र 70 एलपीसीडी ही होती है। 135 एलपीसीडी की जरूरत उन शहरों में होती है जहाँ भूमिगत मलनिकास प्रणाली मौजूद होती है। मलनिकास प्रणाली को अवरूद्ध होने से बचाने हेतु जलप्रदाय के मानक उँचे रखे जाते हैं। इसी प्रकार CPHEEO दिशानिर्देशों के अनुसार बगैर नल कनेक्शन के गरीब बस्तियों में रहने वालों के लिए मानक जलप्रदाय 40 एलपीसीडी ही है।

प्रति व्यक्ति अनुशंसित पानी मात्रा

अ॰क्र॰	कस्बों/शहरों का वर्गीकरण	अधिकतम अनुशंसित जलप्रदाय LPCD
1.	कस्बे जहाँ मलनिकास प्रणाली नहीं है	70
2.	नगर जहाँ मलनिकास प्रणाली है या प्रस्तावित है	135
3.	महानगर जहाँ मलनिकास प्रणाली है या प्रस्तावित है	150

Sourrce - Table 2.1 of CPHEEO guidelines, 1999

[21] नगरपालिका का पत्र 140 दिनांक 16 जनवरी 2012 एवं जानकारी पत्रक 23 मार्च 2012

पानी की जरूरत की गणना करने हेतु शहरी विकास योजना आकल्पन एवं क्रियांवयन (UDPFI) के दिशानिर्देश के भी है जिसके अनुसार एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में 100 एलपीसीडी जलप्रदाय पर्याप्त होता है।

इस योजना के प्रति बड़वानी नगरपालिका द्वारा दिखाया गया उत्साह आश्चर्यजनक है। UIDSSMT की विस्तृत योजना रपट साढ़े पाँच सालों (देखें संलग्न क्र॰-1) में भी पूरा नहीं करवा पाने वाली नगरपालिका ने इस योजना का DPR मात्र 2 सप्ताह में तैयार करवा कर इसकी तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृतियाँ भी प्राप्त कर ली है। अब बेसब्री से इस योजना के शुरू होने की प्रतीक्षा की जा रही है। योजना के प्रति अपार उत्साह का एक कारण इसका बड़ा बजट भी है।

विस्तृत योजना रपट में 4 करोड़ रूपए का अंशदान जुटाने हेतु कर्ज लेने का विकल्प प्रस्तुत किया गया है। कर्ज हेतु 8.75% ब्याज दर का आकलन किया गया है। आकलन के अनुसार कर्ज अदायगी 13 वर्षों में 52 तिमाही किश्तों में की जाएगी। यदि नगरपालिका यह कर्ज लेती है तो उसे 4 करोड़ रूपए के कर्ज के बदले मूलधन और ब्याज मिलाकर 6 करोड़ 32 लाख रूपए चुकाने होंगे। इस कर्ज अदायगी के लिए नगरपालिका पर 48 लाख रूपए से अधिक का सालाना बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि कर्ज मिलने की संभावनाओं पर डीपीआर में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। संबंधित अधिकारियों से भी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई।

स्थानीय निकाय के लिए अपने हिस्से की अंशदान राशि जुटाना मुश्किल जान पड़ता है। बड़वानी नगरपालिका का सालाना बजट मात्र 6 करोड़ रूपए है इसलिए कोई वित्तीय एजेंसी इसे 4 करोड़ का कर्ज देगी, इसमें संदेह है। कर्ज न मिलने पर नगरपालिका इतनी बड़ी राशि अपने स्रोतों से जुटा ले यह भी असंभव लगता है। डीपीआर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अथवा सांसद/विधायक निधि से अनुदान का विकल्प भी दर्शाया गया है। चूँकि ये स्रोत सार्वजनिक है इसलिए इसके लिए शासन स्तर पर आपत्ति ली जा सकती है।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना पीपीपी के नाम पर पानी के निजीकरण का समर्थन करती है। योजना स्वीकार करने वाले 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों के लिए योजना को पीपीपी के तहत सौंपना जरूरी होगा। ऐसे में काफी संभावना है कि नगर की जलप्रदाय योजना का भी पीपीपी के तहत निजीकरण कर दिया जाए।

योजना के DPR निर्माण तथा निर्माण कार्यों पर निगरानी का ठेका भोपाल की सलाहकारी फर्म 'वास्तुशिल्पी प्रोजेक्ट एण्ड कंसलटेंट्स प्रा॰ लिमिटेड' को परियोजना लागत के 1% यानी 19 लाख 90 हजार में दिया गया है। योजना हेतु राज्य शासन ने 25 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था लेकिन सलाहकार ने पूरी परियोजना का आंकलन 19 करोड़ 90 लाख 50 हजार रूपए का ही किया है। परियोजना को उचित और अत्यंत आवश्यक ठहराने हेतु असत्य एवं आधारहीन तथ्यों का सहारा लिया गया है। DPR में बड़वानी के जलप्रदाय को असंतोषजनक बताते हुए इस बात का डर दिखलाया गया है कि जनसंख्या बढ़ने से स्थिति और भी खराब हो जाएगी। कुछ ऐसे ही आधारहीन तथ्यों की बानगियाँ प्रस्तुत है –

क्र॰	दर्शाए गए तथ्य	तथ्यों की हकीकत
1.	शहर में 30 लीटर/व्यक्ति/ दिन से भी कम जल उपलब्धता	भारत सरकार के 13 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप प्रदेश शासन द्वारा 109 नगर पालिकाओं और नगरनिगमों के सर्विस लेवल बैंचमार्च, दिनांक 27 जनवरी 2011 को जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार बड़वानी में 80 लीटर/व्यक्ति/दिन जलप्रदाय हो रहा है। बड़वानी में जलप्रदाय की यह स्थिति काफी बेहतर कही जा सकती है। प्रदेश के केवल 20 शहरों में ही बड़वानी की अपेक्षा अधिक जलप्रदाय होता है। 135 लीटर/व्यक्ति/दिन के मानक पर प्रदेश के सिर्फ 2 शहर भोपाल और रीवा ही खरे उतरते हैं।
2.	वितरण नेटवर्क की कमी	पिछले 10 वर्षों में बड़वानी का काफी विस्तार हुआ है, नई कॉलोनियाँ अस्तित्व में आई है। लेकिन, इसके बावजूद नगरपालिका के अपने दस्तावेज ही इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि शहर के 80% हिस्से तक वितरण लाईनों का विस्तार किया जा चुका है।
3.	भण्डारण क्षमता की कमी	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के डीपीआर में गणना कर कुल जलप्रदाय की अपेक्षा एक तिहाई भण्डारण को आवश्यक बताया गया है। डीपीआर में वर्ष 2042 की जरूरत 1 करोड़ 13 लाख लीटर प्रतिदिन पानी के लिए 4000 किली की क्षमता पर्याप्त मानी गई है। यदि इसी डीपीआर के अनुसार बड़वानी में वर्तमान जलप्रदाय 30 लीटर/व्यक्ति/दिन को सही मान लिया जाए तो 54 हजार की जनसंख्या के लिए 1650 किलोलीटर या 16 लाख 50 हजार लीटर ही प्रतिदिन होता है जिसके लिए मात्र 550 किलोलीटर या 55 लाख लीटर की भण्डारण क्षमता पर्याप्त है। जबकि वर्तमान में बड़वानी में 30 लाख लीटर क्षमता की ओवरहेड टेंक मौजूद है। इस प्रकार वर्तमान भण्डारण व्यवस्था से 90 लाख लीटर तक जलप्रदाय आसानी से किया जा सकता है। जलप्रदाय व्यवस्था को दयनीय बताए जाने का कारण नई योजना को गलत तथ्यों से न्यायोचित ठहराया जाना प्रतीत होता है।
4.	कम जलप्रदाय के कारण लोग अत्यधिक उत्तेजित	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के डीपीआर में बड़वानी में भयंकर जल संकट का उल्लेख किया गया है। इस तथ्य की पड़ताल के लिए हमने बड़वानी नगरपालिका से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत पिछले 10 वर्षों में नागरिकों द्वारा नगरपालिका को प्रस्तुत आवेदन–पत्रों, ज्ञापनों की प्रतिलिपियाँ माँगी थी। जल संकट के संबंध में हमें नागरिकों के 5 ज्ञापनों की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध करवाई गई। लेकिन इनमें से कोई भी ज्ञापन जलसंकट से संबंधित नहीं था तथा सभी ज्ञापन जलप्रदाय में प्रबंधन की समस्याओं से संबंधित थे। उपलब्ध करवाए गए ज्ञापनों में से **एक** जलप्रदाय का समय बदलने, **दूसरा** जलप्रदाय की पूर्ववत व्यवस्था लागू करने, **तीसरा** दबाव की कमी, **चौथा** मैदानी कर्मचारी द्वारा कम समय जलप्रदाय करने, तथा **पाँचवा** गलत वितरण लाईन डालने संबंधी था। मौसम के हिसाब से देखें तो इन पाँच ज्ञापनों में से गलत वितरण लाईन डालने संबंधी एक आवेदन–पत्र ही ग्रीष्म (जून 2004) में प्राप्त हुआ था शेष सभी ज्ञापन अन्य मौसमों में प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष के हिसाब से देखें तो वर्ष 2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010 और 2011 में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। यानी, 10 में से 7 वर्षों में नागरिकों को जलप्रदाय के संबंध में कोई शिकायत नहीं थी। अखबारों में जरूर जल संकट से संबंधित समाचार प्रकाशित होते रहते हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर गरीब बस्तियों से संबंधित होते है जो सार्वजनिक नलों पर निर्भर है। कुछ खबरें तो प्रकाशित करवाई जाती है।
5.	लीकेज ज्यादा	लीकेज के कोई आँकड़े नगरपालिका के पास नहीं है। सूचना का अधिकार के तहत जानकारी माँगने पर बताया गया कि नगरपालिक में इस तरह को कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है।

क्र॰	दर्शाए गए तथ्य	तथ्यों की हकीकत
		निविदा की शर्त के अनुसार सलाहकार फर्म को सारे आँकड़े नगरपालिका ने उपलब्ध करवाए थे। यदि नगरपालिका के पास ही लीकेज के कोई आँकड़े नहीं है तो फिर सलाहकार को यह कैसे पता चल गया कि बड़वानी में लीकेज अधिक है?
6.	सार्वजनिक नलों की अधिकता	वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगरपालिका ने शहर में 10,400 परिवारों का आँकड़ा मान्य किया है जिनमें से 7,100 परिवारों के पास घरेलू नल हैं। शेष 3,300 परिवारों के लिए 468 सार्वजनिक नल है। इस प्रकार करीब 7 परिवारों के बीच एक सार्वजनिक नल है जो वास्तविक जरूरत से काफी कम हैं। नगरपालिका के मैदानी अमले अनुसार करीब आधे सार्वजनिक नलों पर कब्जे हो चुके हैं और वे निजी नलों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी कारण सार्वजनिक नलों पर ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। मंथन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में शहर के 36 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्हें सार्वजनिक नलों से पानी भरने के लिए 200 मीटर से 500 मीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है।[22] सार्वजनिक नलों से कब्जा हटाने के बारे में फरवरी 2005 में एक प्रस्ताव पास किया था लेकिन इस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई।
7.	वर्तमान जलदरें	डीपीआर में वर्तमान जलदरें घरेलू और गैरघरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्रमशः 40 और 80 रूपए/माह दर्शाई गई है लेकिन वास्तव में ये दरें 80 और 150 रूपए/माह है। कम राजस्व दिखाने हेतु संभवतः दरों से संबंधित गलत आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। कॉलोनियों में यह दर 100 रूपए/माह है।
8.	स्थानीय निकाय का अंशदान	बड़वानी की जनसंख्या 50 हजार से अधिक है और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना लागत का 20% अंशदान नगरनिकाय को वहन करना पड़ेगा। लेकिन डीपीआर में योजना लागत के 10% यानी 1 करोड़ 99 लाख रूपए अंशदान का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार सरकारी अनुदान भी 80% के बजाय 90% यानी 17 करोड़ 91 लाख दर्शाया गया है। यह गंभीर त्रुटि है।

उपरोक्त वर्णित सारी त्रुटियों के बावजूद योजना को तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति मिलने में कोई परेशानी नहीं आई और सलाहकार को उसकी निर्धारित फीस की 45% राशि यानी 9 लाख रूपयों का भुगतान किया जा चुका है। तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के दौरान उच्चाधिकारियों द्वारा इस दस्तावेज का परीक्षण अवश्य किया गया होगा। ऐसे में इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि इस डीपीआर की त्रुटियाँ उन अधिकारियों की समझ में नहीं आई होगी। लेकिन अब लाख टके का सवाल यह है कि जो सलाहकार फर्म ठीक से कागजी काम भी नहीं कर सकती वह निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी कैसे करेगी?

इस समय तक सलाहकार को उसके मेहनताने की 35 प्रतिशत राशि का ही भुगतान होना था लेकिन नगरपालिका ने 45 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया।

[22] बड़वानी में जलप्रदाय की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु अगस्त–सितंबर 2011 में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में नगर के 24 में 8 वार्डों का चयन कर वहाँ की 10% प्रतिशत जनसंख्या से जानकारी ली गई। सर्वेक्षण में मात्र 17 प्रतिशत लोगों ने कम दवाब से जलप्रदाय की शिकायत की थी। कम दबाव की शिकायत करने वाले उत्तरदाताओं में से अधिकार गरीब बस्तियों के निवासी थे।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बड़वानी में वर्तमान जलप्रदाय तंत्र नगर की जरूरत से कहीं अधिक क्षमता का और बेहतर है। केवल एनवीडीए द्वारा निर्मित तंत्र ही अगले 30 वर्षों के लिए पर्याप्त है और जिस तरह यूआईडीएसएसएमटी अनावश्यक थी उसी प्रकार मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की भी अभी कोई जरूरत नहीं है। इससे सिर्फ नागरिकों पर आर्थिक बोझ ही बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के प्रभाव

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की एक प्रमुख एवं अनिवार्य शर्त है स्थानीय निकाय की आर्थिक हिस्सेदारी। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बड़वानी नगरपालिका को योजना लागत का 20% हिस्सा निवेश करना होगा। योजना की लागत 19.90 करोड़ रूपए आँकी गई है। 6 करोड़[23] रूपए के सालाना बजट वाली नगरपालिका के लिए इस योजना के लिए 4 करोड़ का अंशदान अपने संसाधनों से जुटाना अत्यधिक कठिन है। इतना बड़ा कर्ज मिलने लायक नगरपालिका की साख भी नहीं है। यदि कर्ज मिल भी गया तो उसकी अदायगी के लिए आधा करोड़ रूपए सालाना अलग से जुटाने होंगें जो सिर्फ जलदरें बढ़ा कर ही जुटाए जा सकते हैं। आईए देखें कि क्या जल दरें बढ़ाकर इस योजना पर होने वाले खर्च की वसूली कैसे की जा सकती है?

नगरपालिका के ताजा आँकड़ों के अनुसार बड़वानी में 10,400 परिवार निवासरत् हैं। इनमें से अधिकांश सक्षम घरों में नल कनेक्शन है और बगैर कनेक्शन के अब वही परिवार शेष हैं जिनकी क्षमता या तो कनेक्शन लेने की नहीं हैं अथवा वे किराएदार हैं। योजना को दी गई तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 18 मई 2012 की शर्तों के अनुसार योजना शुरू होने के एक वर्ष के अंदर सभी कनेक्शनों पर आवश्यक रूप से मीटर लगाने होंगें। फिर भी मान लिया जाए कि योजना शुरू होने के बाद प्रयास किए जाने पर इन कनेक्शनों की संख्या 7,250 से बढ़कर 9,000 हो जाएगी।

नगरपालिका का जलप्रदाय पर खर्च एवं वसूली

वर्ष	जलप्रदाय खर्च	जलप्रदाय से आय	अंतर	वसूली प्रतिशत
2007-08	54,26,352	36,92,496	17,33,856	68.04
2008-09	87,31,582	47,34,211	39,97,371	54.21
2009-10	44,013,65	48,03,578	-4,02,213	109.13
2010-11	88,34,677	74,70,590	13,64,087	84.55
औसत	**6848494**	**5175219**	**1673275**	**78.98**

टीप–नए कार्य, पाईपलाईन विस्तार और अन्य खर्च मदों को योजना में निवेश मानते हुए इसे जलप्रदाय खर्च में नहीं जोड़ा है। उदाहरण के लिए नए कार्यों पर वर्ष 2007-08 में 16,30,646 तथा वर्ष 2008-09 में 23,99,900 रूपए खर्च किए गए। आय में पिछला बकाया वसूली भी शामिल है।

वर्तमान में घरेलू जलप्रदाय की दरें 80 रूपए महीना है।[24] सामाजिक और राजनैतिक कारणों से इन दरों में बहुत अधिक वृद्धि संभव नहीं है। फिर भी यदि इस दर को बढ़ाकर योजना रपट में उल्लेखित दर 150 रूपए प्रतिमाह कर दिया जाए तो भी पानी से इतनी आय नहीं होगी कि संचालन संधारण खर्च के साथ लिए गए कर्ज की अदायगी भी की जा सके। यदि वर्तमान दरें बढ़ाई जाना संभव नहीं हुआ तो नगरपालिका पर 83 लाख रूपए सालाना अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा जिससे अन्य मदों का पैसा पेयजल का घाटा पूरा करने में खर्च करना पड़ेगा।

---

[23] वित्तीय वर्ष 2010-11 में बड़वानी नगरपालिका का कुल खर्च 6,04,83,052 रूपए था।

[24] कॉलोनियों से प्रतिमाह 100 रूपए वसूले जा रहे हैं।

यदि ये दरें 150 रूपए/माह की जा सकी तो भी जलप्रदाय का सालाना घाटा 23 लाख रूपए होगा।

हालांकि अभी भी जलप्रदाय का पूरा खर्च नहीं निकल पाता है। पिछले 4 वर्षों में जलप्रदाय का औसत सालाना खर्च 68.48 लाख तथा वसूली 51.75 लाख के बराबर है। जलदरों की 79% वसूली के बावजूद जलप्रदाय व्यवस्था पर सालाना 16.73 लाख रूपए की सब्सिडी की आवश्यकता पड़ती है। यदि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अस्तित्व में आई तो उसका सालाना संचालन खर्च बढ़कर डेढ़ करोड़ रूपए से ज्यादा हो जाएगा। पेयजल के घाटे की पूर्ति हेतु या तो जलदरों में वृद्धि करनी होगी या फिर अन्य मदों की राशि पेयजल का घाटा पूरा करने में खपानी पड़ेगी। अन्य मदों की राशि का उपयोग पेयजल की घाटापूर्ति में करने पर शहर का विकास प्रभावित होगा। वर्ष 2009-10 में जन स्वास्थ्य पर 47 लाख, प्रकाश व्यवस्था पर 44 लाख तथा निर्माण कार्यों पर 1 करोड़ 68 लाख खर्च हुए थे। बढ़े हुए जलप्रदाय खर्च की पूर्ति ऐसी ही गतिविधियों में कटौती से करनी पड़ेगी।

यदि कनेक्शनों की संख्या और जलदरें नहीं बढ़ाई जा सकी तो नगरपालिका को हर साल करीब एक करोड़ रूपए अपने संसाधनों से अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगें। चूँकि इस जलप्रदाय योजना पर खर्च ज्यादा होगा इसलिए अनावश्यक रूप से जलदरें भी बढ़ानी पड़ेगी। जलदरें अधिक बढ़ाने पर सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याएँ भी खड़ी हो सकती है। पौने पाँच करोड़ की यही योजना मूँदी (खण्डवा) में भी स्वीकृत हुई है। योजना क्रियांवयन के पूर्व ही नगरपंचायत द्वारा जलदरें 60 रूपए/माह से बढ़ाकर 200 रूपए/माह करने का निर्णय लिया है जिसका स्थानीय नागरिकों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के पहले वर्ष के आय एवं व्यय का आंकलन

प्रस्तावित जलदर	वार्षिक आय	बिजली खर्च	सालाना कर्ज अदायगी	स्थापना खर्च	कुल संचा॰/संधा॰ खर्च	बैलेंस
80	69,12,000	74,00,000	48,60,577	30,00,000	1,52,60,577	-83,48,577
100	86,40,000	74,00,000	48,60,577	30,00,000	1,52,60,577	-66,20,577
150	1,29,60,000	74,00,000	48,60,577	30,00,000	1,52,60,577	-23,00,577

नोट – गणना में (1) कनेक्शनों की संख्या 9000, (2) आय की गणना 80% वसूली के आधार पर, (3) बिजली खर्च योजना दस्तावेजों से तथा (4) कर्ज अदायगी 8.75 प्रतिशत वार्षिक के व्याजदर के आधार गणना की गई है। स्थापना खर्च वर्ष 2010-11 का लिया गया है। सभी शीर्षों की ईकाई रूपए है।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की तरह यूआईडीएसएसएमटी में भी स्थानीय निकायों के लिए लागत राशि का 10 प्रतिशत अंशदान जरूरी है। लेकिन, देखने में आ रहा है कि यूआईडीएसएसएमटी स्वीकार करने वाले अधिकांश स्थानीय निकाय अपने हिस्से के पूँजी निवेश में असमर्थ है। अपने हिस्से के निवेश से बचने के लिए निजी कंपनियों को जलप्रदाय में शामिल कर जन–निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से पानी के निजीकरण का विकल्प चुना जा रहा हैं। यूआईडीएसएसएमटी में शामिल मध्यप्रदेश के 17 नगरनिकाय अपने हिस्से का निवेश नहीं कर पाने के कारण अब तक पीपीपी का विकल्प स्वीकार कर चुके हैं। इस प्रकार सार्वजनिक धन से निर्मित परियोजनाओं का निर्माण और संचालन निजी कंपनियों को सौंप कर उन्हें लम्बे समय तक चाँदी काटने का मौका दिया जा रहा है और आम जनता को आर्थिक बोझ ढोने पर मजबूर किया

जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में भी योजना लागत का 20% पूँजी निवेश बड़वानी नगरपालिका को करना है। बड़वानी नगरपालिका की माली हालत को देखते हुए यह संभव नहीं दिखाई देता है। कहीं बड़वानी की जलप्रदाय व्यवस्था भी निजीकरण का रास्ता तो नहीं पकड़ने वाली है?

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की वित्तीय व्यवस्था में बदलाव

मुख्यमंत्री शहरी जलप्रदाय योजना की घोषणा के समय सितंबर 2011 में इस योजना हेतु आवश्यक शासकीय अनुदान विभागीय बजट से पूरा करने की बात कही गई थी। अगले 10 वर्षों के लिए बनाई गई योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभागीय बजट से 100 करोड़ रुपयों का आंकलन किया गया था। इतनी राशि की उपलब्धता के आधार पर 300 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दिए जाने का लक्ष्य रखा गया था।

सितंबर 2012[25] में जारी विभागीय दिशानिर्देशों से योजना की वित्तीय व्यवस्था में बदलाव किए गए जिसके तहत सभी स्थानीय निकायों को योजना लागत का 30% राज्य शासन से अनुदान दिया जाएगा तथा 70% राशि का नगरनिकायों को कर्ज लेना होगा जिसके लिए राज्य सरकार गारंटी देगा। के साथ) मिलेगा। कर्ज राशि तथा ब्याज का 75% राज्य तथा शेष 25% संबंधित निकाय भुगतान करेगा। राज्य शासन ने नगरनिकायों को नाबार्ड से कर्ज दिलवाने की तैयारी दर्शाते हुए इसकी ब्याज दर 11.25% घोषित की थी।

नई वित्तीय व्यवस्था के तहत कुछ जलप्रदाय योजनाओं की स्थिति

(आँकड़े लाख रुपयों में)

स्थानीय निकाय का नाम	जनसंख्या	योजना लागत	अनुदान	ऋण	ऋण पुनर्भुगतान हिस्सा	
			राज्यांश (30%)	स्थानीय निकाय (70%)	राज्य शासन द्वारा (75%)	स्थानीय निकाय द्वारा (25%)
मूँदी	12,891	480.00	144.00	336.00	252.00	84.00
उन्हेल	14,285	1116.00	334.80	781.20	585.90	195.30
भीकनगाँव	16,215	729.00	218.70	510.30	382.73	127.58
बाबई	17,000	765.00	229.50	535.50	401.63	133.88
कुक्षी	28,345	1275.00	382.50	892.50	669.38	223.13
बड़वानी	54,000	1990.00	597.00	1393.00	1044.75	348.25

स्रोत–विभागीय मीटिंग दिनांक 13 नवंबर 2011 के मिनिट्स, एवं शासनादेश क्र० एफ० 10-8/2012/18-12, भोपाल, दिनांक 12 सितंबर 2012 के माध्यम से जारी विभागीय दिशानिर्देश के आधार पर की गई गणना

लेकिन अक्टूबर 2012 में मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन जाकर इस योजना के लिए 38 करोड़ डॉलर (करीब 2 हजार करोड़ रुपए) के कर्ज की माँग की है। योजना में 20 करोड़ डॉलर के बराबर राशि प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से खर्च करने का आश्वासन भी विश्व बैंक को दिया है। सरकार द्वारा विश्व बैंक को दिए गए आश्वासन की राशि 20 करोड़ डॉलर (करीब 1 हजार करोड़ रुपए) उतनी ही हैं जितनी उसने नाबार्ड से कर्ज लेने की घोषणा की है। इसलिए संभावना है कि इतनी विशाल योजना के लिए प्रदेश सरकार के पास कोई आर्थिक

[25] शासनादेश क्र० एफ० 10-8/2012/18-12, भोपाल, दिनांक 12 सितंबर 2012

संसाधन उपलब्ध नहीं है। विश्व बैंक को जितनी राशि का अंशदान अपने संसाधनों से जुटाने का आश्वासन दिया है वह भी नाबार्ड के कर्ज से लेने का प्रयास है।[26]

चूँकि आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण योजना के लिए विश्व बैंक से कर्ज लिया जाना प्रस्तावित था संभवतः इसीलिए योजना की शर्तों में पानी के निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना शामिल किया गया ताकि विश्व बैंक को कर्ज हेतु राजी किया जा सके। योजना स्वीकृति की ताजा शर्तों के अनुसार 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकायों को अपनी जलप्रदाय योजना पीपीपी के तहत निजी कंपनियों को सौंपना आवश्यक होगा।[27] यदि कोई नगरीय निकाय 1 लाख से कम जनसंख्या वाला है लेकिन उसके 20 किमी के दायरे में अन्य निकाय है, जिनकी कुल जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है, तो वहाँ समूह योजना संचालित कर पीपीपी के तहत योजना का निजीकरण किया जा सके। जबकि, अन्य निकायों को चरणबद्ध एवं समयद्ध तरीके से सुधार की प्रक्रिया जारी रखनी होगी। नगरीय निकायों द्वारा सुधार प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने पर राज्य से मिलने वाले अनुदान और कर्ज में कमी कर दी जाएगी। योजना का लाभ लेने वाले नगरीय निकायों को आगामी 3 वर्षों में संपत्ति कर की वसूली 85% तक बढ़ानी होगी।

विश्व बैंक के कर्ज आधारित इस वित्तीय व्यवस्था से सभी नगरनिकायों को योजना लागत का 17.5% हिस्सा कर्ज लेना पड़ेगा। यह कर्ज राशि नगरनिकायों के आर्थिक स्थिति के हिसाब से अधिक है। इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था स्थानीय निकायों और उनके निवासियों पर बहुत भारी पड़ेगी, ऐसी आशंका है।

---

[26] अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियाँ अपनी नीति के अनुसार अब संपूर्ण योजना लागत के बराबर कर्ज नहीं देता है तथा कर्ज चाहने वालों से उसमें अपने संसाधनों से निवेश करने का आग्रह करता है। वर्ष 2004 में स्वीकृत 43.9 करोड़ डॉलर की 'जलक्षेत्र पुनर्रचना परियोजना' में से 39.6 करोड़ डॉलर का ही कर्ज स्वीकृत किया था। शेष 4.3 करोड़ डॉलर की राशि का निवेश राज्य सरकार को अपने संसाधनों से करना पड़ा। एडीबी ने 30.35 करोड़ डॉलर की मध्यप्रदेश शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरण सुधार परियोजना के लिए केवल 20 करोड़ डॉलर का ही कर्ज स्वीकृत किया था।

[27] यह आश्चर्यजनक है क्योंकि योजना के प्रारंभ से ही निजीकरण थोपने वाली सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान प्रदेश में पानी का निजीकरण नहीं देने की घोषणा कर वाहवाही बटोर चुके हैं। संदर्भ के लिए मध्यप्रदेश के जनसंपर्क विभाग की वेबसाईट देखें – http://www.mpinfo.org/mpinfonew/newsdetails.aspx?newsid=120706N18&flag1=1

जलप्रदाय के तथ्य

इस अध्ययन के दौरान कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिनका उल्लेख तो अधिकारियों द्वारा बार–बार किया जाता है लेकिन इनकी पुष्टि हेतु उनके पास कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये आँकड़े आसानी से जुटाए जा सकते हैं लेकिन इसमें किसी की रूचि दिखाई नहीं देती है। संभव है, ये आँकड़े सार्वजनिक होने पर नई योजनाओं के पक्ष में माहौल बनाना कठिन हो जाए। आईए, देखें इन तथ्यों की असलियत क्या है?

पानी की कमी

यह एक ऐसा तथ्य है जो अममून नागरिकों और अधिकारियों दोनों की जुबान से समान रूप से हमेशा प्रसारित होता रहता है। इस संबंध में कई बार कुछ आँकड़े भी बताए जाते हैं लेकिन इन आँकड़ों का वास्तविक जलप्रदाय या तंत्र की क्षमता से कम ही संबंध होता है। बड़वानी के बारे में भी यही सही है।

पिछले दशक में नगर की जनसंख्या बढ़ने की दर करीब 2.4% वार्षिक रही है। इस हिसाब से वर्ष 2008 में बड़वानी की जनसंख्या करीब 51,000 रही होगी। 2008 तक 48 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले पुराने फिल्टर प्लांट (राजघाट रोड़) से जलप्रदाय होता था और तब भी बड़वानी में किसी जल संकट की चर्चा नहीं थी।[28]

जनवरी 2008 से 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए नए तंत्र से जलप्रदाय प्रारंभ कर दिया।[29] जलप्रदाय की क्षमता दुगनी हो जाने के बावजूद नगर में एक दिन की आड़ की जलप्रदाय की स्थिति पूर्ववत ही रही। जिन इलाकों में समस्याएँ थी वहाँ की समस्याएँ भी जस की तस रही।[30] वास्तव में जल उपलब्धता बढ़ने के साथ आंतरिक वितरण व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दिया जाना जरूरी था लेकिन क्रत्रिम जल संकट निर्मित कर नई योजनाओं के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास ही जा रहा।

---

[28] सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मई 2012 में उपलब्ध करवाई गई जानकारी में यह तिथि अगस्त 2008 है।

[29] कुछ सरकारी दस्तावेजों में अगस्त 2008 का उल्लेख है।

[30] मंथन द्वारा किया गया मैदानी सर्वेक्षण, अगस्त–सितंबर 2011

दिसंबर 2011 में 48 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का पुराना फिल्टर प्लांट (राजघाट रोड़) भी शुरू कर दिया गया है। यानी अब बड़वानी जलप्रदाय तंत्र की क्षमता बढ़कर 1 करोड़ 52 लाख लीटर प्रतिदिन हो चुकी है। यदि इन संयंत्रों से पूर्ण क्षमता से जलप्रदाय किया जाए तो शहर के हर नागरिक (सार्वजनिक नल से पानी लेने वाले को भी) को 281 लीटर पानी रोजाना और यदि एक दिन छोड़कर जलप्रदाय हो तो प्रति व्यक्ति 562 लीटर पानी मिलेगा। इतना अधिक पानी उपलब्ध होने के बावजूद पानी की कमी वाला जुमला बदस्तूर दोहराया जा रहा है।

वर्ष 2008 से अब तक जनसंख्या में मात्र 3,700 की वृद्धि हुई है जबकि जल उपलब्धता 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ गई है। शहर में जरूरत से 4 गुना अधिक[31] जल उपलब्धता होने के बावजूद जल संकट का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जनवरी 2012 में बनाए गए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के डीपीआर में प्रति व्यक्ति के हिसाब से मात्र 30 लीटर प्रतिदिन जलप्रदाय का उल्लेख किया गया है। साथ ही पेयजल की कमी के कारण आम जनता के उत्तेजित होने का उल्लेख करते हुए सलाहकार फर्म ने भविष्यवाणी की है कि जनसंख्या बढ़ने से यह असंतोषजनक स्थिति और भी खराब हो जाएगी।[32] उल्लेखनीय है कि आधारहीन तथ्य प्रस्तुत कर डीपीआर तैयार करने वाली सलाहकार फर्म ही निर्माण के दौरान इस योजना की निगरानी भी करने वाली है। ऐसे में शहर की पेयजल योजना का भविष्य क्या होना है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन, बेहतरी की उम्मीद नादानी होगी।

बडवानी में पानी की वास्तविक जरूरत

परिवार		**जनसंख्या** (5.19सदस्य/परिवार)	**मानक** (लीटर)	**माँग** (लीटर)
कनेक्शनधारी	7100	36849	100*	36,85,000
गैर कनेक्शनधारी	3300	17127	40**	6,85,000
योग	10400	**53976**		**43,70,000**

*UDPFI दिशानिर्देश 1996
**CPHEEO दिशानिर्देश 1999

शहर में जलप्रदाय का मुख्य स्रोत नर्मदा है। नगरपालिका 1 करोड़ 52 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले नए फिल्टर प्लांट से 40 लाख लीटर प्रतिदिन तथा पुराने फिल्टर प्लांट से 5 लाख लीटर प्रतिदिन जलप्रदाय का दावा करती है।[33] लेकिन, ये आँकड़े अंदाजन हैं और इनका कोई आधार नहीं है। वास्तव में कितना जलप्रदाय हो रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पानी नापने वाले फ्लो मीटर न तो इंटेकवेल पर लगे हैं और न ही फिल्टर प्लांट पर। व्यक्तिगत कनेक्शनों पर भी मीटर नहीं है। लीकेज की जानकारी को संधारित करने योग्य भी नहीं समझा जाता है। इसीलिए वास्तविक जलप्रदाय की सही मात्रा कोई नहीं बता सकता है। लीकेज और गैर राजस्व जल के आँकड़ों के बारे में भी यही स्थिति है।

हमने अपने स्तर पर भी जलप्रदाय की मात्रा जानने की कोशिश की। कसरावद और राजघाट दोनों स्थानों से आने वाले पानी की राईज़िग लाईनें बेहतर स्थित में है। उनमें कहीं कोई बड़ा लीकेज नहीं है। जलप्रदाय के मैदानी अमले के अनुसार वितरण लाईनों की स्थिति भी

---

31 CPHEEO मानकों के अनुसार बिना मलनिकास प्रणाली वाले शहरों में हर व्यक्ति के लिए प्रतिदिन जलप्रदाय का मानक 70 लीटर तथा सार्वजनिक नलों से पानी लेने वालों के लिए 40 लीटर का मानक है। लेकिन, सुविधा के लिए हमने यहाँ सबके लिए 70 लीटर के मानक से ही गणना की है।

32 मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का डीपीआर, पृष्ठ–3 एवं 4

33 फरवरी 2012 में नगरपालिका द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग को प्रेषित रपट। अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा उपेक्षणीय बताई गई है।

ठीक है और लीकेज बड़ी समस्या नहीं है। रोज 25 लाख लीटर की टंकियाँ और 10 लाख लीटर के सम्पवेल[34] भरे जाते हैं। इसके अलावा कलेक्टोरेट वाली 5 लाख लीटर की टंकी भी भरी जाती है। इस 40 लाख लीटर पानी के भण्डारण के अलावा करीब आधे शहर में राईजिंग लाईन से जलप्रदाय किया जाता है।[35] यदि यह मान लिया जाए कि 40 लाख लीटर पानी राईज़िग लाईन से प्रदाय किया जाता है तो भी प्रतिदिन प्रदाय होने वाले पानी की मात्रा 8,000 किली या 80 लाख लीटर प्रतिदिन होगी। पानी की यह मात्रा शहर की वर्तमान जरूरत से लगभग दुगनी है।

80 लाख लीटर पानी से 54 हजार की जनसंख्या वाला पूरा शहर 148 एलपीसीडी के हिसाब से प्रदाय पा रहा है। यदि इस जलप्रदाय से 10,800 की वह जनसंख्या कम कर दी जाए जहाँ तक नगरपालिका की जलप्रदाय लाईनें[36] नहीं है तो शेष 43,200 लोगों को 185 एलपीसीडी के हिसाब से जलप्रदाय किया जा रहा है। यह जलप्रदाय महानगरों के मानक 150 एलपीसीडी से भी अधिक है। इस प्रकार बड़वानी प्रदेश में सर्वाधिक जलप्रदाय करने वाला नगर है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा तैयार किए गए सर्विस लेवल बैंचमार्क के अनुसार प्रदेश सर्वाधिक जलप्रदाय भोपाल में होता है।[37] हालांकि इसी दस्तावेज में बड़वानी में 80 एलपीसीडी जलप्रदाय का आँकड़ा दिया गया है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता है तथा बगैर किसी आधार के है। यदि बड़वानी में मात्र 80 एलपीसीडी जलप्रदाय होता तो वह भी प्रदेश के जलप्रदाय के परिदृश्य के हिसाब से बेहतर स्थित कही जा सकती है।[38] जलप्रदाय की इतनी अच्छी स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के नाम पर एक नई योजना की जरूरत क्यों है?

बड़वानी में नल कनेक्शनों की संख्या*

अ.क्र.	मार्ग का नाम	संख्या
1	कालका देवी मार्ग	219
2	सरदार पटेल मार्ग	444
3	सुभाष मार्ग	215
4	रणजीत मार्ग	256
5	महालक्ष्मी मार्ग	216
6	तुलसीदास मार्ग	74
7	सेगाँव	169
8	भीलट मार्ग	569
9	राजेन्द्र मार्ग	1440
10	महात्मा गाँधी मार्ग	748
11	देवीसिंह मार्ग	448
12	जवाहर मार्ग	681
13	मौलाना आज़ाद मार्ग	777
14	राईदास मार्ग	844
	योग	**7100**

*नगरपालिका में नल कनेक्शनों की वार्डवार सूची उपलब्ध नहीं है।

प्रति व्यक्ति जलप्रदाय भ्रामक

जलप्रदाय के आँकड़े प्रति व्यक्ति प्रति दिन या एलपीसीडी के रूप में दर्शाए जाते हैं। प्रति व्यक्ति जलप्रदाय के आँकड़े उतने ही भ्रामक होते हैं जितने देशवासियों की प्रति व्यक्ति आय के आँकड़े होते हैं। ये आँकड़े कुल जलप्रदाय के गणितीय औसत भर होते हैं और इनका

---

[34] मैदानी अमले के साथ बातचीत पर आधारित आकलित मात्रा। संपवेल की भण्डारण क्षमता इतनी नहीं है लेकिन इनसे वितरण दौरान भी जल भण्डारण जारी रहता है। अतः सकल भण्डारण अधिक होता है।

[35] राईज़िग लाईन से जलप्रदाय के दौरान भी शेष पानी से टंकियाँ भरती रहती है। 1 करोड़ 4 लाख लीटर प्रतिदिन के फिल्टर प्लांट से मात्र 40 लाख लीटर प्रतिदिन पानी क्यों मिल रहा है इसका संतोषजनक जवाब जिम्मेदार अधिकारियों से नहीं मिल पाया।

[36] नगरपालिका के अनुसार शहर के केवल 80% इलाके में पाईप लाईनों का विस्तार है। कहीं यह आँकड़ा 70% भी है।

[37] सर्विस लेवल बैंचमार्च, 27 जनवरी 2011 के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति/दिन सर्वाधिक जलप्रदाय भोपाल में 167 लीटर होता है। इसके बाद घटते क्रम में अगले शहर ये हैं – रीवा (135), उज्जैन (133), सागर (122), ग्वालियर (109), छिंदवाडा (103), सिहोरा (जबलपुर) (100), मंडला (99), होशंगाबाद (98), जबलपुर (97)

[38] सर्विस लेवल बैंचमार्च, 27 जनवरी 2011 के अनुसार प्रदेश में अशोकनगर और देवरी (सागर) में सबसे कम 15 लीटर/व्यक्ति प्रति दिन जलप्रदाय होता है। उसके बाद डोंगर परासिया (छिंदवाडा) और दमुआ (छिंदवाडा) में (17) झाबुआ, मंदसौर और जावरा (रतलाम) में (24), मलाजखंड (बालाघाट) और श्यौपुर में (25) तथा गोदह (भिण्ड) में 27 लीटर/व्यक्ति प्रति दिन जलप्रदाय हो रहा है।

वास्तविकता से बहुत संबंध नहीं होता है। हर व्यक्ति को मिलने वाले पानी की वास्तविक मात्रा खुद के घर में नल कनेक्शन होने या न होने, पानी भरने हेतु विद्युत मोटर का इस्तेमाल करने या न करने, जलप्रदाय टंकी से अथवा राईज़िग लाईन से होने की स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। वितरण लाईन का व्यास, खास वितरण लाईन पर कनेक्शनों की संख्या, सर्विस लाईन की लम्बाई आदि कारक भी जलप्रदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

बड़वानी की वर्तमान जनसंख्या 54,000 मानी गई है और अनुमानित परिवारों की संख्या 10,400 है। शहर में नल कनेक्शनों की संख्या 7100 है।[39] इसका अर्थ है कि 3,300 परिवार सार्वजनिक नलों पर निर्भर है। सार्वजनिक नलों की संख्या 468 है यानी करीब 7 परिवारों पर एक कनेक्शन।[40] इसका अर्थ है कि कनेक्शनधारी परिवार के मुकाबले बिना कनेक्शन वाले परिवारों प्रदाय किए जा रहे पानी का सातवाँ हिस्सा[41] ही मिलता है क्योंकि सार्वजनिक नलों और व्यक्तिगत नलों एक साथ समान समय जलप्रदाय होता है।

राजेन्द्र मार्ग के सबसे अच्छे चलने वाले सार्वजनिक नल पर हमने पाया कि नल से 1 मिनिट में करीब 14 लीटर पानी निकलता है।[42] यदि नल एक घण्टा चलते हैं तो उससे 840 लीटर पानी मिलता है। चूँकि एक सार्वजनिक नल से औसत 7 परिवार या 36 व्यक्ति[43] जुड़े हैं इसलिए हर परिवार के हिस्से में 120 लीटर और हर व्यक्ति के हिस्से 23 लीटर पानी ही आता है। सार्वजनिक नलों पर निर्भर लोगों को नगरपालिका के दावे 80 लीटर/व्यक्ति/दिन के विरूद्ध एक चौथाई पानी भी नहीं मिलता है। यह CPHEEO दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक नलों से पानी भरने वाले परिवारों हेतु मानक 40 लीटर/व्यक्ति/दिन से काफी कम है। नवलपुरा में कमजारे चलने वाले

मीडिया रणनीति

पिछले 4 वर्षों से, जब से UIDSSMT के माध्यम से जलप्रदाय की चर्चा शुरू हुई तभी से लगभग हर माह किसी न किसी दैनिक अखबार में प्रमुखता एक खबर ऐसी देखने को मिलती है जिसमें स्पष्ट किया जाता है कि नगर में पानी की बहुत समस्या है, वर्तमान तंत्र जलप्रदाय की समस्या का हल करने में सक्षम नहीं है, नए सिरे से जलप्रदाय तंत्र का निर्माण जरूरी है। इन खबरों में जलप्रदाय की समस्या के 'स्थाई' हल के लिए किसी खास योजना का प्रचार भी किया जाता है।

वैसे तो, इस आशय की खबरें नगरपालिका से अधिकृत रूप से जारी नहीं होती है लेकिन इन खबरों में मुख्य नगरपालिका अधिकारी या जलकार्य विभाग के अभियंता के उद्धरण अवश्य होते हैं। वास्तव में इन खबरों के माध्यम से समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करवाने के बहाने गैरजरूरी योजनाओं के पक्ष में जनमत तैयार करने का काम किया जाता है। अखबार जिन खबरों को 'एक्सक्लूसिव' के रूप में प्रकाशित करते हैं उसका प्रभाव अनजाने में 'पैड न्यूज' की तरह होता है। कई बार इस तरह की खबरों में नगरपालिका का अमला खुद की अक्षमता का बखान भी कर देता है।

---

39 व्यावसायिक कनेक्शनों की संख्या मात्र 130 होकर उपेक्षणीय है।

40 नगरपालिका के अमले के अनुसार आधे सार्वजनिक नलों पर निजी कब्जे हो चुके हैं। लेकिन, हमने इस गणना में सार्वजनिक नलों की पूरी संख्या ली है।

41 यह सामान्य अंदाजा है। वास्तव में सार्वजनिक नलों से इससे भी कम पानी मिलता है। अधिकांश या लगभग सभी निजी नल कनेक्शनों पर पर विद्युत मोटर लगाकर अधिक पानी खींच लिया जाता जाता है। जिससे सार्वजनिक नलों पर दबाव कम हो जाता है। सार्वजनिक नलों से पानी मिलना कई कारकों पर निर्भर करता है। जिसके घर के सामने नल है वह उस नल पर अपना अधिकार जताता है तथा दूसरों के मुकाबले अधिक पानी लेता है। किसी सार्वजनिक नल पर एक से अधिक समुदायों द्वारा भरा जाता है। ऐसे में सामाजिक दृष्टि से कमजोर समुदायों का बराबरी से पानी लेने का अधिकार प्रभावित होता है।

42 आशाग्राम रोड़ पर महिला बाल विकास कार्यालय के पास वाला नल, 2 जून 2012

43 बड़वानी में परिवारों की औसत सदस्य संख्या 5.19 व्यक्ति है।

सार्वजनिक नल में ढाई मिनिट में 14 लीटर पानी मिलता है।[44] इस प्रकार इस नल से हर व्यक्ति 10 लीटर से भी कम पानी मिलता है। (चूँकि जलप्रदाय एक दिन छोड़ कर होता है अर्थात इस पैरा में दिए गए आँकड़े दो दिनों के लिए है। प्रतिदिन के आँकड़े इससे आधे होंगें।)

नगरपालिका सार्वजनिक रूप से प्रतिदिन 45 लाख लीटर जलप्रदाय का दावा करती रही है। इस हिसाब से 7,100 घरेलू, 150 व्यावसायिक और 468 सार्वजनिक नलों में से प्रत्येक नल से निकलने वाले पानी की मात्रा 45,00,000/7,718 यानी 583 लीटर है। यह मात्रा कनेक्शनधारी परिवार के लिए 112 लीटर होती है जबकि सार्वजनिक नल से पानी लेने वाले परिवार के लिए मात्र 16 लीटर। लेकिन इन आँकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। नगरपालिका के दस्तावेजों जलप्रदाय तंत्र की क्षमता कहीं अधिक है।

चौबीसों घण्टे जलप्रदाय

पानी के निजीकरण को बढ़ावा देने हेतु आजकल 24x7 यानी चौबीसों घण्टे जलप्रदाय का शिगुफा छोड़ा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में इसका प्रावधान नहीं है लेकिन बातचीत में अधिकारी इस जुमले का इस्तेमाल करते रहते हैं। एक तरफ तो नगरपालिका जरूरत से 3 गुना पानी उपलब्ध होने के बावजूद दिन में एक घण्टा भी जलप्रदाय नहीं कर पा रही है वहीं दूसरी ओर सपने चौबीसों घण्टे जलप्रदाय के दिखाए जा रहे हैं। जलप्रदाय व्यवस्था में समस्या का कारण कभी पर्याप्त जल उपलब्धता नहीं होने तो कभी कम जल भण्डारण क्षमता का कारण दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे मकसद बड़े बजट की योजना को आगे धकेलने का होता है जो निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करती दिखाई देती है।

[44] कांजी हाउस (नवलपुरा) के पास वाला नल, 16 अप्रैल 2012

गैरजरूरी योजनाएँ : कुछ कारण

योजना आयोग के अनुसार आजादी के समय देश में मात्र कुछ सौ आवासीय बस्तियाँ थी जहाँ पेयजल व्यवस्था नहीं थी और लेकिन 1996 तक ऐसी बस्तियों का आँकड़ा बढ़ कर 68 हजार की संख्या पार कर चुका था।[45] यह स्थिति तब है जब देश भर में जल संरक्षण को काफी महत्व दिया जा रहा है और इसके लिए प्रमुखता से अभियान चलाए जा रहे हैं।

हमारे देश में पानी उपलब्ध करवाना हमेशा से पुण्यकार्य माना जाता रहा है। मत्स्य पुराण में तो एक तालाब को 10 पुत्रों के समान माना गया है लेकिन जमीनों के बढ़ते दामों की लालच में समाज ने ताल–तलैया को खत्म करने में भी गुरेज नहीं किया है। इससे जल उपलब्धता प्रभावित हुई है। पाईप से पेयजल प्रदाय शुरू होने से कुएँ–बावड़ियों की उपेक्षा प्रारंभ हुई।

बड़वानी में पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन मौजूद रहे हैं। लेकिन, देश की अन्य नगरीय इकाईयों की तरह बड़वानी भी अपने जल संसाधनों का संरक्षण नहीं कर पाया है। थोड़ा गहराई से पड़ताल करने पर पता चलता है कि यह एक आम समस्या बन गई है और, इसका समाधान भी स्थानीय परिस्थितियों को नज़रअंदाज़ करते हुए एक जैसा ही किया जा रहा है। मोटे तौर पर हमारे अध्ययन में इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कुछ कारक प्रमुख रूप से सामने आए हैं –

निर्णय प्रकिया – पेयजल जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहद केन्द्रीकृत, जनभागीदारीविहीन है। यही प्रक्रिया निचले स्तर पर मनमानीपूर्ण हो जाती है। आम जनता को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली योजनाओं में जनभागीदारी का पूरी तरह से नकारा जाता है। कई बार तो निर्वाचित प्रतिनिधियों तक दरकिनार कर दिया जाता है।

ज्यादातर योजनाएँ उच्च कार्यालयों से तैयार होकर आती है जिन पर स्थानीय निकायों से दिखावे के लिए औपचारिक स्वीकृति भर ली जाती हैं। बड़वानी की नगर विकास योजना (सीडीपी) की पूरी प्रक्रिया ऊपर से हुई। सीडीपी हेतु सलाहकार का चयन, टेण्डर प्रक्रिया और निगरानी सब कुछ। जब सीडीपी तैयार हो गई तो नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने नगरपालिका को इसे स्वीकार करने का निर्देश (वास्तव में आदेश) दिया तो आज्ञाकारी मातहतों की तरह उच्चाधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हुए नगरपालिका ने संकल्प पारित कर सीडीपी को अंगीकृत कर लिया।[46]

---

[45] योजना आयोग के पूर्व सचिव श्री एनसी सक्सेना द्वारा ग्रामीण पेयजल व्यवस्था पर प्रकाशित आलेख जिसे योजना आयोग की वेबसाईट http://planningcommission.nic.in/reports/articles/ncsxna/index.php?repts=water.htm पर देखा जा सकता है।

[46] नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय का पत्र क्र॰ 534, दिनांक 5 फरवरी 2011 एवं नगरपालिका का संकल्प क्र॰ 23, दिनांक 22 फरवरी 2011

शायद इसीलिए सीडीपी में न तो स्थानीय नागरिकों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा गया है और न ही सही तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है।[47]

बड़वानी में जलप्रदाय आवर्धन हेतु UIDSSMT के तहत साढ़े 5 करोड़ 54 लाख रूपए की योजना के निर्माण पर साढ़े पाँच वर्षों से विचार जारी था। लेकिन जब नगरपालिका को मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की स्वीकृति की खबर मिली तो अधिकारियों ने बगैर किसी विचार विमर्श के इसे स्वीकार करने का निर्णय लेने में एक दिन भी नहीं लगने दिया। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की अनधिकृत एवं विश्वसनीय खबर मिलते ही UIDSSMT को छोड़ने का निर्णय भी इतनी ही तत्परता से ले लिया। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना बड़वानी नगरपालिका के सालाना बजट से 3 गुना बड़ी तथा अधिक संचालन–संधारण खर्च वाली योजना है जिसके अनेक दूरगामी परिणाम संभावित है। लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए अधिकारियों ने न तो परिषद के निर्वाचित होने की प्रतीक्षा की और न ही इसकी कीमत चुकाने वाली जनता से विचार–विमर्श का प्रयास किया। 6 करोड़ के सालाना बजट वाली नगरपालिका ने योजना हेतु 4 करोड़ रूपए का योगदान की बात इतनी आसानी से कह दी मानो हजार–दो हजार रूपए की बात हो। इसी प्रकार बगैर किसी कारण के UIDSSMT को अस्वीकार करने का निर्णय भी ले लिया गया।

इसके विपरीत, खण्डवा में पानी के निजीकरण का जब निर्णय लिया जा रहा था तब निर्वाचित पार्षदों तक की इस मामले में राय नहीं ली गई। कुछ पार्षदों द्वारा विरोध के बावजूद उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखने हेतु सारे निर्णय मेयर इन काउंसिल में लिए गए।

पारदर्शिता – नगरीय निकायों की नई पेयजल योजनाओं के काम निजी सलाहकारों से करवाए जा रहे हैं। इससे अधिकारी पूरी तरह से सलाहकारों पर निर्भर हो गए है तथा वे चार लाईन की चिट्ठी लिखने तक के लिए भी सलाहकार की मदद लेने लगे हैं।[48] यदि कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार के तहत भी पेयजल योजनाओं से संबंधित सूचनाएँ माँगता तो अधिकारी सलाहकार से राय लेते। कई सलाहकारों का काम स्तरहीन तथा त्रृटिपूर्ण होता है इसलिए वे पारदर्शिता को पसंद नहीं करते हैं। सलाहकार की राय के अनुसार अधिकारी जानकारी उपलब्ध करवाने से इंकार कर देते हैं।[49] सूचना तक पहुँच बाधित करने में अधिकारियों का व्यवहार ऐसे होता है मानों वे सरकारी कर्मचारी न होकर

---

47 सीडीपी में सीडीपी संचालन समिति के स्थानीय सदस्यों की अपेक्षाओं को तरजीह नहीं दी गई है।

48 इस संबंध में एक मजेदार लेकिन गंभीर घटना उल्लेखनीय है। बड़वानी शहर की मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र लिखा जाना था। अपनी आदत के अनुसार नगरपालिका के संबंधित अधिकारी द्वारा सलाहकार को यह पत्र तैयार करने की सूचना दी गई। सलाहकार ने इमैल से पत्र का प्रारूप भिजवा दिया। पत्र के प्रारूप में आवश्यक बदलाव कर नगरपालिका ने इसे पत्र क्र॰ 319 दिनांक 9 फरवरी 2012 द्वारा विभाग के मुख्य अभियंता को प्रेषित कर दिया गया। लेकिन, पत्र में शहर का नाम नहीं बदलने से छूट गया था जिसके कारण बड़वानी शहर के बजाय कुक्षी (धार) के लिए स्वीकृति माँग ली गई थी। इसी पत्र के आधार पर 18 मई 2012 को मुख्य अभियंता द्वारा बड़वानी की मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

49 हमारे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए गए आवेदन–पत्रों पर पिपरिया (होशंगाबाद), इटारसी, दमोह, कुक्षी, (धार), भीकनगाँव (खरगोन), धार आदि नगरनिकायों से हमें एक जैसा जबाब मिला कि सलाहकार ने सूचनाएँ उपलब्ध करवाने से इंकार कर दिया है। जिसके कारण हमें समय और धन बर्बाद कर अपीलें करनी पड़ी। सनावद और होशंगाबाद नगरपालिका ने अधूरी सूचनाएँ उपलब्ध करवाई। भीकनगाँव (खरगोन), और दमोह नगरनिकायों ने पैसा जमा करावने के बावजूद सूचनाएँ देने से इंकार कर दिया।

सलाहकार के मातहत हो। सलाहकारी ठेके बड़ी राशियों के होते हैं इसलिए अधिकरियों के हित भी इससे जुड़ जाते है इसलिए कानूनन जरूरी होने के बावजूद वे पारदर्शिता से परहेज करने लगते हैं। पारदर्शिता का अभाव भ्रष्टाचार एवं मनमानी का कारण बनता है।

जवाबदेही – अन्य सरकारी विभागों की तरह नगरनिकायों में भी सेवा में कमी पर जवाबदेही का कोई प्रावधान नहीं है। उपलब्धता के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिलने अथवा सही आँकड़े संधारित नहीं करने अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है। बड़वानी शहर की वास्तविक जरूरत से तीन गुना पानी उपलब्धता का तंत्र मौजूद होने के बावजूद नगर में एक दिन छोड़ कर जलप्रदाय किया जा रहा है। गरीब बस्तियों में शहर के औसत के बराबर जलप्रदाय नहीं हो रहा है। लेकिन, इसके लिए न तो पेयजल प्रदाय में लगा अमला जिम्मेदार है और न ही इस पर निगरानी रखने वाला कोई अधिकारी। शायद इसीलिए सही तरीके से रिकार्ड तक संधारित नहीं किया जाता है।[50] जवाबदेही की कमी से सेवाओं में सुधार की संभावना खत्म हो जाती है और सेवा उपलब्ध करवाना अमले की दयाभावना पर निर्भर हो जाता है। अस्थाई/संविदा कर्मचारियों की अपेक्षा स्थाई कर्मचारियों में गैरजवाबदेही स्पष्ट दिखाई देती है। अमले को जवाबदेह बनाने का प्रयास न तो विभाग के स्तर पर किया जा रहा है और न ही अमले में ऐसी रूचि भी दिखाई देती है।

संवेदनहीनता – पानी बहुत अहम संसाधन है। समाज में आर्थिक गैरबराबरी के कारण समाज का एक बड़े वर्ग की क्रय शक्ति बहुत कम है।[51] वे पानी खरीदने की स्थिति में नहीं है। साथ ही कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी उन्हें मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाने की है। लेकिन कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता न तो सरकार के स्तर पर है और न ही निकाय के स्तर पर। इस संबंध में बात शुरू करते ही जिम्मेदार अधिकारी अतार्किक कहने लग जाते हैं। गरीब व्यक्ति दारू खरीद सकता है तो पानी क्यों नहीं? पानी की खराबी के कारण कई बीमारियाँ फैलती है। निजी कंपनियाँ साफ पानी प्रदाय करेगी..... आदि। अब इन अधिकारियों को कैसे समझाया जाए कि सबको साफ पानी उपलब्ध करवाना उन्हीं की जिम्मेदारी है।

सलाहकार – कुछ वर्षों पूर्व तक बड़ी से बड़ी योजनाएँ सरकारी अमला ही बनाता और चलाता रहा है लेकिन अब हर काम के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की जा रही है। सलाहकारी कार्य में बड़ी राशि शामिल होती है जिस कारण वे सौदे हथियाने के लिए ऐसे कृत्य भी करते हैं जिन्हें उचित नहीं कहा जा सकता है। सलाहकारों के उच्च पदस्थ

---

[50] लीकेज तथा अन्य तरीकों से बर्बाद होने वाले पानी की जानकारी के बारे में कोई रिकार्ड संधारित नहीं है। टूटफूट और मरम्मत का भी कोई रिकार्ड संधारित नही है। ये काम नगरपालिका में मौखिक होते हैं। सार्वजनिक नल कनेक्शनों संख्या और उनकी स्थिति का रिकार्ड नगरपालिका में संधारित नहीं है।

[51] शहर के मलिन घोषित की गई बस्तियों वाले 16 वार्डों की 74 प्रतिशत आबादी के पास अपने निजी शौचालय भी नहीं नहीं है। स्रोत–सीडीपी तालिका क्र॰ 11.9.2, पृष्ठ–100

राजनैतिक और प्रशासनिक हल्कों में संपर्क होते है जिससे उन्हें ठेके प्राप्त करने मदद[52] तथा उनके स्तरहीन कार्यों का भी भरपूर समर्थन किया जाता है।[53]

निर्णय प्रक्रिया में शामिल कुछ वर्गों के हित योजना निर्माण से जुड़े होते हैं जिसके कारण उनके बीच एक हितसंबंध बन जाता है जो संगठित होकर मुखर तरीके से अपने पक्ष का प्रचार करता है।[54] चूँकि सलाहकारों की फीस योजना लागत पर निर्भर होती है इसलिए वे योजना लागत बढ़ाने में अधिक रूचि लेते हैं। अनावश्यक बढ़ाई गई लागत का फायदा हितसंबंध के अन्य पक्षों को भी मिलता है अतः इस मामले में सवाल नहीं उठाया जाता है। लेकिन अंततः इसकी कीमत आम आदमी को ही चुकानी पड़ती है।

तकनीकी क्षमता – नगर विकास योजना या विस्तृत परियोजना रपटों की स्वीकृति उच्च स्तर पर होती है। नगर विकास योजना निर्माण के ठेके थोक में हो रहे हैं। ऐसे में संभव है कि योजनाओं की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के पास तकनीकी समझ रखने वाले पर्याप्त मानव संसाधन का अभाव होता हो और उस स्तर पर प्रत्येक दस्तावेज का अध्ययन करना संभव नहीं हो। ऐसे में उच्च प्राधिकारियों के समक्ष भी सलाहकारों के काम पर विश्वास जताने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा होगा। यह भी संभव है कि दस्तावेजों की विषयवस्तु की निगरानी का कोई तंत्र ही न हो और सलाहकारों के काम को अंतिम मान लिया गया हो। लेकिन, यदि इन दस्तावेजों की विषय वस्तु पर निगरानी रखी जाती तो स्तरीय दस्तावेज तैयार होने की संभावना होती।

दूसरी ओर, नगरनिकाय के स्तर पर तकनीकी समझ रखने वाला पर्याप्त अमला नहीं है जो कि इन दस्तावेजों का अध्ययन कर उस पर अपनी टिप्पणियाँ दे सके सके।[55] स्थानीय स्तर पर योजना दस्तावेजों की अंग्रेजी भाषा भी कभी बाधा बनती है लेकिन सच्चाई यह है कि कई कारणों से संबंधित अधिकारी इन दस्तावेजों को देखना तक नहीं चाहते हैं।[56] इसी का नतीजा है कि सलाहकार फर्मों तथा अन्य संबंधितों के मध्य स्थापित हितसंबंधों के कारण आम जनता पर अत्यधिक महँगी और गैरजरूरी योजनाएँ थोपी जा

---

52 बड़वानी नगरपालिका को मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की स्वीकृति संबंधी जानकारी सबसे पहले वास्तुशिल्पी प्रोजेक्ट एण्ड कंसलटेंट्स प्रा॰ लिमि॰, भोपाल से प्राप्त हुई थी। फर्म ने इस पत्र में नगरपालिका से उसकी कंसलटेंसी सेवा लेने का आग्रह भी किया गया था। दो सप्ताह बाद अधिकृत सूचना मिली। बाद में एक संदिग्ध निविदा प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना की कंसलटेंसी का ठेका इसी फर्म को मिला।

53 डीपीआर में अनेक तथ्यात्मक खामियों के बावजूद नगरपालिका द्वारा प्राथमिकता के आधार पर फर्म के बिलों का अत्यधिक तत्परता से भुगतान किया जा रहा है। सलाहकारा के 4 लाख 97 हजार का बिल के भुगतान के लिए फाईल बाबु से लेकर एसडीएम (तत्कालीन प्रशासक) तक 6 बार दौड़ी और 4 पृष्ठों की नोटशीट लिखी गई,। फाईल के इतनी भागदौड़ और लिखापढ़ी के बावजूद सलाहकार का भुगतान एक ही दिन में हो गया।

54 उदाहरण के लिए बड़वानी में पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के नाम पर मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना का समर्थन तो किया जा रहा है लेकिन इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है कि जरूरत से 3 गुना अधिक उपलब्धता के बावजूद शहर में रोजाना घण्टा भर जलप्रदाय क्यों नहीं किया जा रहा है। वर्ष 2008 में निर्मित नए फिल्टर प्लांट में यदि कुछ हजार लागत का फिल्टर बेड खराब हो गया तो इसके लिए 4 करोड़ 28 लाख खर्च कर पूरा फिल्टर प्लांट नया बनाने की आवश्यकता क्यों है?

55 यह आश्चर्यजनक है कि बाहरी सलाहकार ने बड़वानी की जरूरतों को अच्छे से समझते हुए मात्र दो सप्ताह में योजना का डीपीआर तैयार कर तकनीकी स्वीकृति के लिए भिजवा दिया और वर्षों से बड़वानी में जलप्रदाय करने वाला अमला न तो उसमें कोई कमी ढूँढ पाया और न ही अपने सुझाव दे पाया।

56 बड़वानी के डीपीआर में पृष्ठ iv है ही नहीं। हमें उपलब्ध करवाए गए प्रमाणित दस्तावेज में पृष्ठ iv की कमी हमें फोटोकॉपी की चूक प्रतीत हुई। नगरपालिका कार्यालय में दुबारा मूल दस्तावेज से मिलान करने पर स्पष्ट हुआ कि यह पृष्ठ दस्तावेज में नहीं है। इसी दस्तावेज के पृष्ठ–53 पर कर्ज पुनर्भुगतान की गणना संलग्न होने का लेख है लेकिन न तो डीपीआर के साथ यह गणना संलग्न है और न ही नगरपालिका की किसी अन्य नस्ती में यह उपलब्ध है। योजना दस्तावेज में इसी प्रकार की अनेक तथ्यात्मक त्रुटियाँ है। हैरानी की बात यह है कि इसी त्रुटिपूर्ण दस्तावेज के आधार पर योजना की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृतियाँ जारी हुई है।

रही है। आम आदमी न तो इस खेल को ठीक से समझ पा रहा है और न ही उसकी आवास सुनी जा रही है।

बड़वानी वर्तमान में 2008 में प्रारंभ हुए जलप्रदाय तंत्र और पुराने तंत्र से जलप्रदाय जारी है। दोनों तंत्रों की क्षमता और शहर की जनसंख्या के आँकड़े बताते हैं कि शहर में वास्तविक जरूरत के मुकाबले करीब 3 गुना अधिक जल उपलब्धता है। इसके बावजूद योजनाकारों और सलाहकारों को बड़वानी में 'भीषण' जल संकट देखाई दे रहा है। कृत्रिम जल संकट पैदा कर बड़े बजट की अनावश्यक योजनाएँ बनाने के खेल को समझा जाना जरूरी है। बहुत ही दुःखद होगा यदि एक ऐसी योजना के लिए बड़वानी नगरपालिका को संकट की ओर धकेल दिया जाएगा जो फिलहाल बिल्कुल जरूरी नहीं है।

.....